इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 516] भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 नवम्बर 2014—कार्तिक 19, शक 1936


### नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2014

क्र. एफ-1-02-2014-साठ.—मंत्रि-परिषद् की दिनांक 14 अक्टूबर 2014 को सम्पन्न बैठक में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीतियों-लघु जल विद्युत परियोजना नीति अधिसूचना दिनांक 3-11-2011 बायोमास आधारित विद्युत परियोजना नीति दिनांक 12 अक्टूबर 2011 पवन ऊर्जा परियोजना नीति अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी 2012 एवं सौर ऊर्जा परियोजना नीति अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई 2012 के अनुसार परियोजना स्थापना हेतु दी जाने वाली राजस्व भूमि उपयोग की अनुमति हेतु भूमि उपयोग अनुज्ञा अनुबंध (हिन्दी एवं अंग्रेजी) एवं निष्पादन गारंटी हेतु प्रावधानों में संशोधन दिनांक 7 अक्टूबर 2014 व संशोधित आदेश अनुमोदित किया गया है. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उक्त का प्रकाशन ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. आर. मोहन्ती,** अपर मुख्य सचिव.

### भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध

मध्यप्रदेश राज्य के . . . . . (स्थान तथा जिले का नाम)

में स्थापना हेतु

. . . . . विद्युत परियोजना के अन्तर्गत

. . . . . (परियोजना का नाम तथा क्षमता) का विकास

पक्षकारगण

आयुक्त,

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

भोपाल

तथा

मेसर्स ..... (कम्पनी का नाम)

यह भूमि उपयोग अनुमति अनुबंध (जिसे इसके आगे ''अनुबंध'' या ''यह अनुबंध'' कहा गया है, आज दिनांक . . . . . ., माह . . . . . वर्ष 20 . . . . . को निम्न पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया गया:

प्रथम पक्षकार के रूप में आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा भोपाल जिनका कार्यालय उर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल (जिन्हें इसके आगे ''मध्यप्रदेश शासन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग या ''मध्यप्रदेश शासन'' या ''शासन'' कहा गया है, जब तक यह अभिव्यक्ति संदर्भ से अन्यथा न हो तथा इनमें इनके अनुज्ञापित उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा विधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे);

तथा

द्वितीय पक्षकार के रूप में मेसर्स ..... (कम्पनी का नाम) जिनका कार्यालय ..... ..... (स्थान का नाम) में स्थित है (जिन्हें इसके आगे ''कम्पनी'' या ''उत्पादक कम्पनी'' कहा गया है, जब तक यह अभिव्यक्ति संदर्भ से अन्यथा न हो तथा इनके अनुज्ञापित उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा विधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे तथा इनका श्री ..... (नाम, पदनाम) के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया गया है जिन्हें कम्पनी द्वारा, कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा अनुबंध के निष्पादन हेतु संचालक मण्डल के पारित संकल्प दिनांक . . . . . के अनुसार प्राधिकृत किया गया है.

(प्रत्येक पक्षकार को वैयक्तिक रूप से ''पक्षकार'' तथा सामूहिक रूप से ''पक्षकारगण'' संबोधित किया गया है'')

यह कि :

क. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का नोडल विभाग है जिसे मध्यप्रदेश राज्य में सौर/ पवन/ बायोमास/ लघु जल विद्युत (उपयुक्त का चयन करें) विद्युत परियोजनाओं के विकास के संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश राज्य में सौर/ पवन/ बायोमास/ लघु जल विद्युत/ (उपयुक्त का चयन करें) आधारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नीति से संबंधित मामलों के संव्यवहार बाबत् उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है;

ख. नीति के अनुसार, राजस्व विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य किसी विभाग के स्वामित्व वाली भूमि के प्रकरण में, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग भूमि का आधिपत्य प्राप्त करेगा तथा तत्पश्चात संबंधित विकासक (जिसकी परियोजना को प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है) को भूमि के उपयोग की अनुमति प्रदान करेगा;

ग. मध्यप्रदेश शासन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक . . . . दिनांक 4-3-2014 के अनुसार नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीतियों के अनुसार अनुबंध के आधार पर भूमि उपयोग अनुमति प्रदान करेगा;

घ. मेसर्स ..... (कम्पनी का नाम) ने अपने पत्र (संदर्भ क्र. . . . . दिनांक . . . . . ) के माध्यम से सौर/ पवन/ बायोमास/ लघु जल विद्युत (उपयुक्त का चयन करें) विद्युत परियोजना (जिसे इसके आगे ''परियोजना'' कहा गया है) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. प्रस्तावित योजना की स्थापित क्षमता . . . . . मेगावाट होगी जिसे मध्यप्रदेश राज्य के ..... ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... में कैप्टिव विद्युत उत्पादक/ स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक (उपयुक्त का चयन करें) परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा;

ङ कम्पनी ने राजस्व भूमि पर परियोजना स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव वांछित दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत किया है. उनके द्वारा भूमि का चयन मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की वैबसाईट www.mpnred.com अथवा वैबसाईट www.mplandrecords. gov.in में प्रदर्शित विवरणों के आधार पर भूमि के समुच्चय (Pool) से किया गया है;

च. मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग कि ने परियोजना का पंजीयन पंजीकरण क्रमांक . . . . . द्वारा किया है जिसकी एक प्रति इस अनुबंध के साथ अनुसूची क्रमांक-1 के अनुसार संलग्न है;

छ. कम्पनी ने परियोजना हेतु शासकीय भूमि की आवश्यकता, मय अभिन्यास (ले-आऊट), परियोजना की रूपरेखा, भूमि के संबंध में उसकी उपयुक्तता तथा औचित्य के बारे में तर्कसंगति प्रतिपादित करते हुए, प्रस्तुत की है तथा राजस्व अभिलेखों के अनुसार खसरा/ रकबा विवरण अपने पत्र क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . 20 . . . के माध्यम से प्रस्तुत किये हैं जिसकी एक प्रतिलिपि इस अनुबंध के साथ अनुसूची क्रमांक-2 के अनुसार संलग्न है;

ज. मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने नीति के प्रावधानों तथा सर्वोत्तम उपयोगिता संव्यवहारों के आधार पर भूमि की आवश्यकता के मूल्यांकन उपरान्त संबंधित जिला कलेक्टर से मध्यप्रदेश शासन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को भूमि के हस्तान्तरण बाबत् (जिसे एतद् पश्चात् ''भूमि'' कहा गया है) पत्र क्रमांक . . . . दिनांक . . . . . द्वारा अनुरोध किया है जिसकी एक प्रति इस अनुबंध के साथ अनुसूची-3 के अनुसार संलग्न है;

झ. मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तुत उनके अनुरोध के आधार पर मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग/ कलेक्टर जिला ..... (उपयुक्त अंकित करें) ने अपने पत्र क्रमांक. . . . . दिनांक . . . . . द्वारा . . . . . हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को हस्तान्तरित की गई है जिसकी एक प्रति इस अनुबंध के साथ अनुसूची-4 के अनुसार संलग्न है;

ञ. मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने भूमि का आधिपत्य संबंधित राजस्व अधिकारी से जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी (DREO) या अन्य विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति से पत्र क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . के अनुसार भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों के साथ, अर्थात, फार्म पी-II की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसकी मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग संबंधी प्रविष्टि स्तंभ (कालम) 12 में की गई है, खसरा मानचित्र तथा सुपुर्दनामा प्राप्त कर लिया गया है, जिनकी एक प्रति अनुबंध के साथ अनुसूची-5 के अनुसार संलग्न है;

ट. कम्पनी द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) जिसे एतद् पश्चात् ''डीपीआर'' कहा गया है, का अनुमोदन मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग से पत्र क्रमांक. . . . . दिनांक . . . . . द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जिसे अनुवर्ती तौर पर नीति के अनुसार भूमि के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है, जिसकी एक प्रति अनुबंध के साथ अनुसूची-6 के अनुसार संलग्न है;

ठ. कम्पनी द्वारा नीति के समस्त सुसंबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की सहमति व्यक्त गई है;

ड अतएव, नीति तथा अनुबंध की निबन्धन तथा शर्तों के अन्तर्गत, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग कम्पनी को परियोजना के विकास हेतु . . . . . हेक्टेयर 'भूमि उपयोग की अनुमति' अनुबंध में एतद्द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार निम्नानुसार प्रदान करता है:

(यहां, भूमि, जिला, तहसील, ग्राम, खसरा क्रमांक, भूमि क्षेत्रफल, आदि से संबंधित विवरण प्रदान करें)

अतएव, अब निर्धारित किये गये प्रस्तावों (premises) तथा आपसी प्रसंविदाओं (covenants) के प्रतिफल में तथा अन्य उत्तम तथा बहुमूल्य सुविचारों के आधार पर जिनकी प्राप्ति तथा पर्याप्तता एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है तथा जिसका आशय इसके विधिक तौर पर भी बन्धनकारी होने से है, दोनों पक्षकार एतद्द्वारा निर्धारित किये गये निबन्धन तथा शर्तों के बारे में निम्नानुसार सहमति व्यक्त करते हैं:—

1. **परिभाषाएं तथा व्याख्याएं (Definitions and Interpretations)**

1.1 **परिभाषाएं (Definitions).**— जब तक संदर्भ प्रतिकूल न हो, इस अनुबंध में निम्न शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेंगी, जैसा कि इसके आगे इनके बारे में नियत किया गया है:—

"**अनुबंध (Agreement)**" का तात्पर्य भूमि उपयोग अनुमति, मय उनके साथ संलग्न अनुसूचियों से है;

"**अनुबंध अवधि (Agreement Period)**" का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे इस अनुबंध के अनुच्छेद 2.2 में निर्दिष्ट किया गया है;

"**अनुमोदन (Approval)**" का तात्पर्य कम्पनी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) या डीपीआर में निर्दिष्ट परियोजना विवरणों के संबंध में मध्यप्रदेश शासन की सहमति से है;

"**वाणिज्यिक प्रचालन (Commercial Operation)**" का तात्पर्य परियोजना की उस स्थिति से है जिस समय युक्तिसंगत उपयोगिता संव्यवहारों (Prudent Utility Practices) के अनुसार परियोजना को क्रियाशील किये जाने के उपरान्त परियोजना नियमित आधार पर सक्रिय ऊर्जा (Active Power) तथा प्रतिक्रिया ऊर्जा (Reactive Power) प्रदान करने में सक्षम हो जाए;

"**वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (Commercial Operation Date-COD)**" का तात्पर्य उक्त तिथि से है जब इकाई/ परियोजना, जैसा लागू हो, का वाणिज्यिक प्रचालन विकासक (Developer) द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो;

"**सहमतियां, स्वीकृतियां तथा अनुमतियां (Consents, Clearances and Permits)**" का तात्पर्य समस्त प्राधिकारों (Authorizations), अनुज्ञप्तियों (Licenses), अनुमोदनों (Approvals), पंजीकरणों (Registrations) अनुमतियों (Permits), अधित्यागों/छूटों (Waivers), विशेषाधिकारों (Privileges), अभिस्वीकृतियों (Acknowledgements), अनुबन्धों (Agreement), अथवा रियायतों (Concessions) से है जिन्हें परियोजना को पूर्णतया विकसित करने, निष्पादित करने तथा प्रचालन हेतु निर्माण, स्वामित्व, संचालन तथा संधारण हेतु, बिना किसी परिसीमा के, शामिल करते हुए किसी शासकीय माध्यम (Government Instrumentality) से प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो या प्रदान किया गया हो;

"**विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report)**" या "डीपीआर" का तात्पर्य कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवश्यक विस्तृत अन्वेषण तथा पुष्टिकृत सर्वेक्षण के संचालन, परियोजना के तकनीकी मापदण्डों के विस्तृत विवरण तैयार करने, वार्षिक ऊर्जा के रूपांकन, परियोजना की लागत, आदि के बारे में परियोजना प्रतिवेदन से है जैसा कि मध्यप्रदेश शासन से डीपीआर के अनुमोदन की प्राप्ति हेतु, मध्यप्रदेश शासन तथा कम्पनी द्वारा इसके बारे में परस्पर सहमति व्यक्त की गई हो;

"**विवाद (Dispute)**" का अर्थ तात्पर्य वही होगा जैसा कि अनुच्छेद 10 में इसके संबंध में निर्दिष्ट किया गया है;

"**प्रभावी तिथि (Effective Date)**" का तात्पर्य अनुबंध हस्ताक्षरित करने की तिथि से है;

"**ऊर्जा (Energy)**" का तात्पर्य किलोवाट ऑवर्स (Kilowatt hours या kwh) में विद्युत ऊर्जा से है;

"**विशेष आकस्मिक परिस्थिति (Force Majeure)**" का तात्पर्य वही होगा जैसा कि इसे अनुबंध के अनुच्छेद 6 में इसके संबंध में निर्दिष्ट किया गया है;

"**नि:शुल्क ऊर्जा (Free Power)**" का तात्पर्य शुद्ध वार्षिक ऊर्जा (Net Annual Energy) से है जैसा कि कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश शासन को परियोजना से बिना किसी लागत के उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है;

''**भारत सरकार (GOI)**'' का तात्पर्य भारत सरकार से है;

''**मध्यप्रदेश शासन**'' या ''**शासन**'' का तात्पर्य मध्यप्रदेश सरकार से है;

''**शासकीय माध्यम (Government Instrumentality)**'' का तात्पर्य निम्न से होगा :—

- मध्यप्रदेश शासन और/ या केन्द्र शासन; और/ या
- कोई भी मंत्रालय, विभाग, मण्डल (बोर्ड) प्राधिकरण, संस्था (Agency) निगम, आयोग जो मध्यप्रदेश शासन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियन्त्रण में हो; और/ या
- कोई भी मंत्रालय, विभाग, मण्डल (बोर्ड) प्राधिकरण, संस्था, निगम, आयोग जो भारत सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में हो; अथवा
- मध्यप्रदेश राज्य स्थित कोई राजनैतिक उपखण्ड (Political Sub-Division), या कोई न्यायालय या आयोग या न्यायाधिकरण या विधिक अथवा अर्द्धविधिक निकाय अथवा/ और मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग सम्मिलित से है;
- भारत का उच्चतम न्यायालय या केन्द्र शासन का कोई न्यायाधिकरण या विधिक या अर्द्धविधिक निकाय, परन्तु कम्पनी को छोड़कर;

''**शासकीय भूमि (Government Land)**'' का तात्पर्य भू-राजस्व अभिलेखों के अनुसार राज्य सरकार या इसके किसी विभाग के स्वामित्व वाली भूमि से है;

''**स्थापित क्षमता (Installed Capacity)**'' का तात्पर्य परियोजना की समस्त इकाइयों की नामपट्टिका (Name Plate) क्षमताओं के योग से है;

''**भूमि उपयोग की अनुमति (Land Use Permission)**'' का तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा विकासक जिसे किसी परियोजना का आवंटन परियोजना के विकास हेतु परिभाषित अधिकतम अवधि के लिये अथवा परियोजना के जीवनकाल हेतु, इनमें जो भी पूर्व में घटित हो, के लिये प्रदान किया जाता है, द्वारा उपयोग की जाने वाली राजस्व भूमि हेतु प्रदत्त अनुमति से होगा. इस अनुमति के अन्तर्गत, राजस्व (खसरा) अभिलेखों के स्तंभ (कालम) 3 में भूमि प्रकार ''शासकीय'' दर्शाया जाएगा तथा स्तंभ (कालम) 12 में, वह आदेश जिसके अन्तर्गत भूमि का हस्तान्तरण मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को हुआ है का उल्लेख तथा कम्पनी का नाम जिसे मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा इस अनुबंध के अनुसार प्रदान की गई हो, दर्शाया जाएगा. इस प्रावधान के अन्तर्गत अनुबंध अवधि के दौरान भूमि मध्यप्रदेश शासन के आधिपत्य में ही रहेगी;

''**भूमि उपयोग की दर (Land Use Charges)**'' का तात्पर्य कंपनी द्वारा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को परिभाषित परियोजना ''कार्य'' हेतु उपयोग में ली जाने वाली चिन्हित भूमि का अनुबंध की प्रभावी तिथि पर तत्समय असिंचित कृषि भूमि हेतु प्रचलित कलेक्टर दर के 50 प्रतिशत एवम् परियोजना के परिभाषित अनुषांगिक ''संरचनाएं'' के उपयोग में ली जाने वाली चिन्हित भूमि का अनुबंध की प्रभावी तिथि पर तत्समय असिंचित कृषि भूमि हेतु प्रचलित कलेक्टर दर के 100% के बराबर होगी. कम्पनी द्वारा यह राशि लेखाधिकारी कार्यालय आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगी. विकासक निर्धारित भूमि उपयोग दर को पांच समान वार्षिक किश्तों में जमा करेगा.

''**माह (Month)**'' का तात्पर्य घटना की तिथि से (इस तिथि को अ-सम्मिलित करते हुए) 30 (तीस) दिवस की अवधि से है जहां लागू हो अन्यथा अंग्रेजी कलेण्डर माह से होगा;

"**निष्पादन गारंटी (Performance Guarantee)**" का तात्पर्य कम्पनी द्वारा किसी सूचीकृत बैंक से मध्यप्रदेश शासन को प्रस्तुत की गई अथवा प्रस्तुत की जाने वाली अप्रतिसंहरणीय, अपरिवर्तनीय, अप्रतिबन्धित बैंक गारंटी (Irrevocable Unconditional Bank Guarantee) से है;

"**स्थायी संरचनाएं (Permanent Structures)**" का तात्पर्य ऐसे स्थायी कार्यों से है जो परियोजना के भाग का गठन करते हों जिन्हें परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उसी रूप में न्यूनतम परियोजना अवधि की समाप्ति पर्यन्त निर्माण, स्थापित तथा संचालित किया जाना अपेक्षित होता है.

"**स्थायी अनुषांगिक संरचनाएं (Permanent Anciallary Structures)**" का तात्पर्य ऐसे स्थायी कार्यों से है जो परियोजना से संबंधित गतिविधियों के लिये आवश्यक है. इस निर्माण में परियोजना कार्यालय, कर्मचारी आवासीय भवन, विश्रामगृह, अतिथि गृह, केंटीन आदि जिन्हें परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उसी रूप में न्यूनतम परियोजना अवधि की समाप्ति पर्यन्त निर्माण, स्थापित तथा संचालित किया जाना अपेक्षित होता है.

"**नीति (Policy)**" का तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक . . . . . तथा अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार सौर/ पवन/ बायोमास/ लघु जलविद्युत (उपयुक्त का चयन करें) आधारित विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नीति से है;

"**परियोजना (Project)**" का तात्पर्य सौर/ पवन/ बायोमास/ लघु जलविद्युत (उपयुक्त का चयन करें) आधारित विद्युत परियोजना से है जिसकी स्थापित क्षमता अनुसूची 6 के अनुसार अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य के ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... में प्रस्तावित परियोजना हेतु ..... मेगावाट है;

"**पुनरीक्षित नियत वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (Revised Scheduled Commercial Operation Date)**" का तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा परियोजना हेतु नियत की गई वाणिज्यिक प्रचालन तिथि में बढ़ाई गई अवधि के अनुमोदन पश्चात् निर्धारित की गई पुनरीक्षित तिथि से है;

"**नियत वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (Scheduled Commercial Operation Date)**" का तात्पर्य उक्त तिथि से है जब परियोजना को क्रियाशील किया जाना अपेक्षित है तथा ऐसी कोई भी तिथि अनुबंध हस्ताक्षर करने की तिथि से नीति में निर्दिष्ट की गई समयावधि के उपरान्त नहीं होगी जब तक मध्यप्रदेश शासन द्वारा नियत की गई समय-सीमा में कोई विलंब, जो कम्पनी के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण हो, को पुनरीक्षित तिथि से स्वीकृति प्रदान न की गई हो;

"**कार्यस्थल (Site)**" परियोजना के प्रयोजन से कार्यस्थल का तात्पर्य परियोजना के आनुषंगिकों (Appurtenances), विद्युत उत्पादक संयंत्र मय भूमि के तथा कम्पनी द्वारा परियोजना के प्रयोजन हेतु अधिग्रहण किये गये अधिकारों या जिन्हें अधिग्रहण किया जाना अपेक्षित है, से है;

"**राज्य**" का तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है;

"**अस्थायी संरचनाएं (Temporary Structures)**" का तात्पर्य स्थायी संरचनाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार के अस्थायी कार्यों से है जिन्हें परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में कार्यस्थल पर स्थापित किया जाता है या परियोजना के रूपांकन, अभियांत्रिकी तथा निर्माण हेतु आनुषंगिक अथवा सहायक है तथा जिनकी स्थापना/ अधिष्ठापन तथा संधारण परियोजना हेतु वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक किया जाता है तथा तत्पश्चात् इन्हें कार्यस्थल से हटा लिया जाता है;

"**कार्य (Works)**" का तात्पर्य स्थायी कार्यों स्थायी अनुषांगिक कार्यों तथा अस्थायी कार्यों से है जो परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुषांगिक गतिविधियों हेतु अनिवार्य है; तथा

"**वर्ष (Year)**" का तात्पर्य किसी वर्ष के एक अप्रैल को प्रारंभ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से है.

1.2 **व्याख्याएं (Interpretations).**—इस अनुबंध में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

1. किसी वैधानिक प्रावधान (Statutory Provision) के संदर्भ में ऐसा प्रावधान भी शामिल होगा जिसे समय-समय पर संशोधित (Modified अथवा पुनर्अधिनियमित (re-enacted) अथवा समेकित (Consolidated) किया गया हो जहां तक इस प्रकार किया गया कोई संशोधन अथवा पुनर्अधिनियम अथवा समेकन इसके अन्तर्गत लागू हो या फिर इसके अन्तर्गत निष्पादित किसी सव्यवहार को लागू किये जाने के योग्य हो.

2. व्यक्तियों तथा शब्दों के संबंध में संदर्भ जो नैसर्गिक व्यक्तियों को निर्दिष्ट करते हों, में निगमित निकाय (Corporate Bodies) तथा साझेदारियां (Partnerships), संयुक्त उपक्रम (Joint Ventures) तथा वैधानिक तथा अन्य प्राधिकरण एवं इकाइयां (Entities) भी शामिल होंगे.

3. अनुबंध की पारिभाषिक शब्दावली (Nomenclature), शीर्षक तथा अनुच्छेद क्रमांक संदर्भ की सुविधा के लिये प्रदान किये गये हैं तथा अनुबंध के किसी आशय या व्याख्या में इसकी अवज्ञा की जाएगी.

4. किसी भी विवरण के किसी अनुबंध (Agreement), संलेख (Deed), लिखत (Instrument), अनुज्ञप्ति (License) अथवा अभिलेख (Document) के बारे में किसी भी समय पर किसी भी व्याख्या संदर्भ के रूप में की जाएगी जिसके आशय को उक्त अनुबंध, संलेख, लिखत, अनुज्ञप्ति अथवा अन्य अभिलेख जैसा कि इसे संशोधित परिवर्तित, संपूरक, संशोधित या ऐसे संदर्भ के समय पर आस्थगित (Suspend) किया गया हो, परन्तु यह कण्डिका जिसके अनुसार किसी भी पक्षकार के उत्तरदायित्व अथवा उसकी वचनबद्धताओं में आगे चलकर या अनुवर्ती तौर पर, किसी भी प्रकार से कारण भले जो भी हों, कोई वृद्धि निहित हो, लागू नहीं होगी.

5. किसी अवधि के बारे में किसी विशिष्ट दिवस या तिथि "से (From)" प्रारंभ होने या किसी निर्दिष्ट दिवस अथवा तिथि "तक (Till) या जब तक (Unitl)" संबंधी किसी भी संदर्भ में ऐसे दोनों दिवस तथा तिथियां शामिल होंगे.

2. **अनुबंध के निबंधन (Terms of Agreement)**

2.1 **प्रभावशीलता (Effectiveness).**— यह अनुबंध इस अनुबंध की प्रभावी तिथि से लागू होगा.

2.2 **अनुबंध अवधि (Agreement Period).**—यह अनुबंध इस अनुबंध की प्रभावशील तिथि से . . . वर्ष (सौर ऊर्जा हेतु 25 वर्ष, पवन ऊर्जा हेतु 25 वर्ष, बायोमास ऊर्जा हेतु 20 वर्ष तथा लघु जल विद्युत परियोजना हेतु 35 वर्ष) अथवा परियोजना के जीवनकाल तक इनमें से जो भी पूर्व में घटित हो, की अवधि के लिये लागू रहेगा जब तक इसका समापन इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार इसमें से पूर्व न कर दिया जाए.

2.3 **अनुबंध समाप्ति के पूर्व सूचना (Early Termination).**—इस अनुबंध की समाप्ति अनुबंध अवधि से पूर्व निम्न परिस्थितियों में होगा :—

1. यदि दोनों मध्यप्रदेश शासन अथवा कम्पनी में से कोई भी एक पक्षकार इस संबंध के अनुच्छेद 3.1.3, अनुच्छेद 3.3.1, अनुच्छेद 3.3.3 तथा अनुच्छेद 8 या फिर अनुबंध के किसी अन्य उपबन्ध के अनुसरण में इसके समापन संबंधी अपने अधिकार का प्रयोग करता हो; अथवा

2. ऐसी अन्य परिस्थितियों में, जैसा कि इस बारे में कम्पनी तथा मध्यप्रदेश शासन परस्पर इस बारे में लिखित रूप से सहमत हों.

3. अनुबंध के पूर्व समापन संबंधी प्रकरण के अन्तर्गत, कम्पनी द्वारा ऐसी उपयोग में न लायी गई भूमि (Unutilized land) से इस अनुबन्ध की समापन तिथि से 90 (नब्बे) दिवस के भीतर स्थापित किये गये समस्त संयंत्र, मशीनरी या अन्य भार (encumbrances) भार हटा लिये जायेंगे, जैसा कि इस बारे में मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाए. 90 (नब्बे) दिवस की अवधि के उपरान्त, मध्यप्रदेश शासन का उक्त भूमि पर छोड़ी गई समस्त सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिये पक्षकार की किसी भी

प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान देय न होगा तथा शासन अपनी स्वेच्छानुसार किसी भी तरीके से उक्त सम्पत्ति के निपटारे के लिये स्वतन्त्र होगा.

2.4 **अनुबंध समाप्ति पर भूमि खाली करना.**— अनुच्छेद 2.3 के अनुसार अनुबंध के पूर्व समापन के प्रकरण में, कम्पनी को समस्त सयन्त्र, मशीनरी तथा अन्य समस्त संरचनाएं कार्यस्थल से हटा लेने होंगे ताकि उपयोग हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि अनुबन्ध की समापन तिथि से 90 (नब्बे) दिवस के भीतर खाली कर दी जाएगी. यहां किसी शंका को दूर करने हेतु स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुच्छेद इस अनुबंध के समापन के उपरान्त भी विद्यमान (Survive) रहेगा.

2.5 **भूमि उपयोग दर.**—1. कंपनी को नवीन एवम् नवकरणीय ऊर्जा विभाग को आवंटित भूमि हेतु "भूमि उपयोग की दर (Land Use Charges)" परिभाषित परियोजना "कार्य" हेतु उपयोग में ली जाने वाली चिन्हित भूमि की अनुबंध की प्रभावी तिथि पर तत्समय असिंचित कृषि भूमि हेतु प्रचलित कलेक्टर दर के 50 प्रतिशत एवम् परियोजना के परिभाषित अनुषांगिक "संरचनाएं" के उपयोग में ली जाने वाली चिन्हित भूमि की अनुबंध की प्रभावी तिथि पर तत्समय असिंचित कृषि भूमि हेतु प्रचलित कलेक्टर दर के 100% के बराबर जमा करना होगी. कम्पनी द्वारा यह राशि लेखाधिकारी कार्यालय, आयुक्त नवीन एवम् नवकरणीय ऊर्जा विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगी. विकासक निर्धारित भूमि उपयोग दर को पांच समान वार्षिक किश्तों में जमा करेगा. विकासक द्वारा प्रथम किश्त भूमि उपयोग में दिये जाने के पूर्व जमा की जायेगी. यह स्पष्ट किया जाता है कि भुगतान की गयी भूमि उपयोग दर राशि किसी भी दशा में वापिसी योग्य नहीं होगी.

3. **कम्पनी तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुवर्ती पूर्ण की जाने वाली शर्तें ( Conditions subsequent to be satisfied by the Company and GoMP )**

3.1 **कम्पनी द्वारा अनुवर्ती पूर्ण की जाने वाली शर्तों के संबंध में ( Satisfaction of Conditions subsequent by the Company )**

1. कम्पनी परियोजना द्वारा उपयोग में आने वाली भूमि में प्रवेश, इस अनुबन्ध की प्रभावी तिथि से 30 दिवस के भीतर संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी या मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी के माध्यम से किया जाएगा. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि भूमि मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के आधिपत्य में रहेगी तथा यह भी कि कम्पनी को इस अनुबन्ध के अन्तर्गत केवल परियोजना के विकास के प्रयोजन उपयोग के लिये ही प्राधिकृत किया गया है.

2. कम्पनी द्वारा परियोजना के विकास का कार्य प्रभावी तिथि से छः माह के भीतर प्रारम्भ कर दिया जाएगा तथा वाणिज्यिक प्रचालन . . . . माह के भीतर या मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदत्त समयावधि में की गई वृद्धि के अनुसार किया जाएगा. प्रदान की गई किसी समय वृद्धि को इस अनुबंध का भाग माना जाएगा.

3. यदि कम्पनी ऊपर उल्लेखित लक्ष्यों (Milestones) को नियत अवधि में की गई किसी समय वृद्धि के बावजूद भी प्राप्त करने में असफल रहती है या परियोजना के किसी भाग का ही निष्पादन करती हो तो अनुबन्ध का समापन भूमि के उस भाग जिसका उपयोग नहीं किया जा सका हो, के लिये किया जाएगा.

3.2 **मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुवर्ती पूर्ण की जाने वाली शर्तों के संबंध में ( Satisfaction of Conditions subsequent by the GOMP ).**—मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग अपने प्राधिकृत जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी के माध्यम से कम्पनी द्वारा अनुरोध किये जाने के तीस दिवस के भीतर इसे परियोजना विकास हेतु उसके उपयोग के लिये भूमि उपलब्ध करायेगा.

3.3 **शर्तों के पालन नहीं करने के परिणाम ( Consequences of non-fulfillment of conditions ):—**

1. अनुच्छेद 3.3.3 के अध्यधीन, अनुच्छेद 3.1 में निर्दिष्ट की गई किन्हीं शर्तों का पालन अनुवर्ती निर्धारित समयावधि के भीतर (जिसमें प्रदत्त समय वृद्धियां यदि कोई हो, भी शामिल होंगी) पूर्ण करने में विलंब किया जाता है, तो

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कम्पनी को 30 (तीस) दिवस का लिखित में नोटिस देकर अनुबन्ध के समापन का अधिकार होगा.

2. यदि मध्यप्रदेश शासन अनुच्छेद 3.3.1 में निर्दिष्ट विषयान्तर्गत अनुबन्ध को समाप्त किये जाने का चयन करता हो तो, भूमि उपयोग की अनुमति अनुबन्ध के समापन की प्रभावी तिथि से निरस्त होना मानी जाएगी.

3. जहां किसी आकस्मिक विशेष परिस्थिति (Force Majeure) के कारण दोनों पक्षकार अनुच्छेद 3.1 तथा 3.2 में निर्दिष्ट शर्तों के परिपालन में असमर्थ रहते हों, वहां अनुच्छेद 3.1 तथा 3.2 में उल्लेखित शर्तों के परिपालन में अनुवर्ती तौर पर समय वृद्धि प्रदान की जाएगी जो 12 (बारह) माह की अधिकतम विस्तार अवधि होगी जिसका मान निरन्तर अथवा अ-निरन्तर अवधि को सम्मिलित कर होगा. तत्पश्चात्, मध्यप्रदेश शासन या कम्पनी में से कोई भी एक पक्षकार इस अनुबन्ध का समापन अन्य पक्षकार को न्यूनतम 30(तीस) दिवस का नोटिस लिखित में देकर कर सकेंगे.

4. **बंधन तथा उत्तरदायित्व (Obligations and Responsibilities).—**

4.1 **कम्पनी के बंधन (Obligations of the Company).—**

1. कम्पनी को अनुबंध की कंडिका 2.5 के अनुसार भूमि उपयोग की दर का भुगतान करना होगा. भुगतान न करने की दशा में अनुबंध के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि उपयोग की अनुमति निरस्त कर दी जायेगी.

2. कम्पनी अपने स्वयं के व्यय तथा दायित्व पर परियोजना को निर्धारित समय सीमा में क्रियाशील करेंगी समयबद्ध तरीके से जो पुनरीक्षित नियत वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पूर्व होना अनिवार्य होगा.

3. कम्पनी एतद्धीन समस्त बंधनों तथा अधिकारों के संबंध में मध्यप्रदेश शासन को पूर्ण सहयोग प्रदान कर कार्य निष्पादन करेगी.

4. कम्पनी भूमि को उपयोग, परिभाषाओं के अन्तर्गत शामिल किये गये ''स्थाई संरचनाएं **(Permanent Structures)**'', ''अनुषांगिक संरचनाएं'' तथा ''अस्थाई संरचनाएं **(Temporary Structures)**'' संबंधी प्रावधानों के अलावा किसी अन्य प्रायोजन के लिये नहीं करेगी. यदि इस अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी प्रक्रम पर इस भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रायोजन से किया जाना पाया जाता हो तो भूमि उपयोग अनुमति को इस अनुबंध के उपबन्धों के अन्तर्गत निरस्त किया जा सकेगा.

5. कम्पनी हेतु अनुषांगिक गतिविधियों कार्य प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल का 5% या अधिकतम 1 हैक्टेयर भूमि भूमि उपयोग में ले सकता है. अनुबंध की समापन तिथि से 90 (नब्बे) दिवस के भीतर स्थापित किये गये समस्त अनुषांगिक कार्यों की संरचनाओं को हटा लिया जायेगा. 90 (नब्बे) दिवस की अवधि के उपरान्त, मध्यप्रदेश शासन का उक्त भूमि पर छोड़ी गई समस्त सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिये पक्षकार की किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान देय न होगा तथा शासन अपनी स्वेच्छानुसार किसी भी तरीके से उक्त सम्पत्ति के निपटारे के लिये स्वतंत्र होगा.

6. पवन ऊर्जा परियोजना हेतु दी गई भूमि में ब्लेड के नीचे की भूमि जो सुरक्षा की दृष्टि से परियोजना क्षेत्र में बाड़ (फेंस) के अतिरिक्त हो, का उपयोग उद्यानिकी या पुष्प खेती के लिये बिना कोई स्थायी निर्माण किये कर सकता है.

7. कम्पनी अनुबन्ध की सम्पूर्ण अवधि के दौरान परियोजना के संचालन युक्तियुक्त कार्यपद्धति के अनुसार करेगी तथा कम्पनी को नोटिस जारी करने के बावजूद भी यदि परियोजना का छः माह निरंतर संचालित न होना पाया जाए तो इस अनुबन्ध के उपबन्धों के अनुसार इसे निरस्त कर दिया जा सकेगा.

8. कम्पनी सुरक्षा की दृष्टि से परियोजना क्षेत्र में बाड़ (फेंस) स्थापित करेगी.

9. कम्पनी उपयोग के लिये उपलब्ध कराई गई भूमि के संबंध में पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय अपनाने हेतु उत्तरदायी होगी तथा क्षेत्र में पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालने वाली कोई भी गतिविधियां संचालित नहीं करेगी.

10. कम्पनी उपयोग हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि पर संबंधित जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना किसी कुआँ अथवा नलकूप का खनन नहीं करेगी.

11. कथित भूमि उपयोग के दौरान, यदि कम्पनी किसी व्यक्ति या जीव जन्तु **(animal)** को क्षति अथवा चोट पहुंचाती हो तो उसे इस संबंध में क्षतिपूर्ति अथवा हरजाने का भुगतान उसी प्रकार करना होगा जैसा कि भूमि के किसी किरायेदार **(Tenant)** को इस संबंध में करना होता है.

12. कम्पनी भूमि क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी वृक्ष की कटाई संबंधित जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं करेगी.

13. कम्पनी वार्षिक नि:शुल्क विद्युत् (जहां कहीं भी वह देय हो) का भुगतान मासिक देयक से समानुपातिक दर आधार **(Pro rata basis)** पर करेगी.

14. परियोजना का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण **(Monitoring and Supervision of the Project)**.—कम्पनी मध्यप्रदेश शासन के प्राधिकृत प्रतिनिधियों तथा किसी भी शासकीय माध्यम **(Government Instrumantility)** जिसके अन्तर्गत कथित परियोजना नीतिगत प्रावधानों के अनुसार परियोजना उनके क्षेत्राधिकार में आती हो, विधिवत तौर पर उनके प्राधिकृत व्यक्तियों को सदैव कार्यस्थल पर प्रवेश की सुविधा उपलब्ध करायेगी.

15. सुरक्षा के उपाय **(Safety Measures)**.—कम्पनी परियोजना के क्रियान्वयन की अवधि के दौरान व यदि (भूगर्भीय अध्ययन, निर्माण तथा स्थल पर निरीक्षण किये जाते है तो इनके लिये भी) उचित सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करेगी. इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन को कम्पनी द्वारा परिपालन सुनिश्चित करने हेतु एक उपयुक्त प्रक्रिया स्थापित करने का अधिकार होगा.

16. वैकल्पिक सुविधाएं **(Alternative Facilities)**.—किन्हीं विद्यमान सुविधाओं के प्रकरण में जिनमें सड़कों, पुलों, भवनों तथा संचार प्रणाली/प्रणालियों तक ही सीमित न होंगी, अनुज्ञापित भूमि पर परियोजना के क्रियान्वयन के कारण प्रभावित होती हो, तो इसके लिये कम्पनी पूर्णतया उत्तरदायी होगी तथा कम्पनी को इसके लिये उपचारी उपायों की लागत वहन करनी होगी. कम्पनी द्वारा विद्यमान सुविधाओं के साथ किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर कम्पनी द्वारा वैकल्पिक सुविधा का निर्माण न कर दिया जाए.

17. पर्यावरणीय सन्तुलन का सम्पोषण **(Maintaining Ecological Balance)**.—कम्पनी परियोजना क्षेत्र के समीप के क्षेत्र में वनों की कटाई **(Deforestation)**, जल प्रदूषण **(Water Pollution)** तथा प्राकृतिक भू-दृश्य निर्माण की विकृति **(Defacement of Natural Landscapes)** को रोकते हुए पर्यावरणीय सन्तुलन के सम्पोषण हेतु उत्तरदायी होगी. कम्पनी परियोजना क्षेत्र के आस-पास प्राकृतिक प्रतिवेश में किसी प्रकार की अनावश्यक विनाशकारी गतिविधि **(destruction)**, क्षतिचिन्ह अंकित करने **(Scarring)** अथवा विकृति की रोकथाम के लिये समस्त युक्तिसंगत उपाय करेगी.

18. सुविधाओं का उपयोग **(Use of facilities)**.—उपलब्धता, सुरक्षा बचाव, विधि, व्यवस्था तथा परिचालन कारकों की उपलब्धि के अध्यधीन परियोजना क्रियाशील होने पर कम्पनी परियोजना हेतु मध्यप्रदेश शासन तथा सार्वजनिक तौर पर समस्त निर्मित तथा संधारित सेवा मार्गों **(Service Roads)** के निर्बाध उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करेगी.

19. पुरातत्वीय प्राप्तियां, निधियां आदि **(Archaeological Findings, Treasures, etc)**, कार्यस्थल पर पाये गये समस्त जीवाश्म **(Fossils)**, सिक्के **(Coins)**, मूल्यवान वस्तुएं **(Articles of Value)**, या पुरावशेष **(Antiquities)**, तथा संरचनाएं या अन्य अवशेष **(Remains)** अथवा खोज की गई भूगर्भीय अथवा पुरातत्वीय महत्व की वस्तुएं पूर्णतया मध्यप्रदेश शासन की सम्पत्ति मानी जाएगी. कम्पनी द्वारा अपने कामगारों या किसी अन्य व्यक्ति

को इन्हें क्षति पहुंचाने जाने से रोके जाने हेतु युक्तियुक्त सावधानियां बरती जाएंगी. कम्पनी द्वारा इन्हें मप्र शासन को नि:शुल्क हस्तानांतरित किये जाने की व्यवस्था की जाएगी, परन्तु ऐसे प्रकरण में जहां कार्यस्थल पर कोई बहुमूल्य अथवा अर्द्ध-बहुमूल्य सामग्री पाई गई हो वहां कम्पनी मप्र शासन को इस बारे में सूचित करेगी तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करेगी जिन्हें कम्पनी से जानकारी प्राप्त होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर शासन द्वारा उसे संसूचित किया जाएगा.

20. कम्पनी, निर्माण के साथ-साथ संचालन तथा संधारण गतिविधियों हेतु नियोजन प्रदान करते समय स्थानीय व्यक्तियों को उनकी उपलब्धता तथा उपयुक्तता के आधार पर प्राथमिकता प्रदान करने के प्रयास करेगी तथा परियोजना के निर्माण तथा संधारण कार्यों हेतु स्थानीय रूप से विनिर्मित सामग्री/कलपुर्जों को भी उनकी उपलब्धता तथा उपयुक्तता के अध्यधीन प्राथमिकता प्रदान करेगी.

4.2 **मध्यप्रदेश शासन के बंधन तथा उत्तरदायित्व (Obligation and Responsibilities of the GoMP).—**

4.2.1 **भूमि उपयोग अनुमति ( Land Use Permission ).**—मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग इस अनुबंध के निष्पादन उपरान्त, कम्पनी द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र की प्रस्तुति के 30 (तीस) दिवस के भीतर, जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से परियोजना में उपयोग हेतु भूमि उपलब्ध करायेगा. इस संबंध में भूमि उपयोग अनुमति के लिये नीति में निर्दिष्ट किये गये अनुसार कम्पनी की नि:शुल्क विद्युत् प्रदाय अथवा अधिमूल्य (प्रीमियम) अथवा अन्य किसी शुल्क के अलावा किसी अतिरिक्त अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि अथवा भाटक (**Rent**) का भुगतान नहीं करना होगा.

4.2.2 **प्रतिस्थापन का अधिकार ( Right to Substitution ).**—मध्यप्रदेश शासन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ऋण अवधि के दौरान भूमि उपयोग अनुमति के संबंध में नीति अधिसूचना क्रमांक 165 दिनांक 16 अप्रैल, 2013 के अनुसार प्रमुख ऋण प्रदाय संस्था (**Prime Lending Institution**) को कम्पनी के प्रतिस्थापन के अधिकार की अनुमति प्रदान करेगा.

4.2.3 **तृतीय पक्षकार सहभागिता हेतु भूमि उपयोग अनुमति ( Land Use Permission for Third Party Participitation ).**—ऐसे प्रकरण में जहां कम्पनी जिसे इस अनुबंध के अन्तर्गत सौर/पवन/बायोमास/लघु जल-विद्युत् (उपयुक्त का चयन करें) परियोजना की स्थापना हेतु भूमि उपयोग की अनुमति प्रदान की गई हो तथा तृतीय पक्षकार सहभागिता के साथ सौर/पवन/बायोमास/लघु जलविद्युत् (उपयुक्त का चयन करें) परियोजना स्थापित करने की इच्छुक हो, तो तृतीय पक्षकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले सौर/पवन/बायोमास/लघु जल-विद्युत् (उपयुक्त का चयन करें) भूमि के उक्त भाग के लिये भूमि उपयोग अनुमति इस अनुबंध की निबन्धन तथा शर्तों पर प्रदान की जाएगी जो तृतीय पक्षकार के लिये भी लागू होगी. तृतीय पक्षकार को उसके द्वारा विकसित की जाने वाली परियोजना हेतु भूमि के उक्त भाग के लिये पृथक् भूमि उपयोग अनुमति अनुबन्ध निष्पादित करना होगा.

4.2.4 **सड़कों तथा पुलों का उन्नयन ( Up-gradation of roads and bridges ).**—मध्यप्रदेश शासन कम्पनी को परियोजना हेतु कार्यस्थल पर सड़कों, पुलों, पुलियों का निर्माण, जैसा कि वे आवश्यक समझे जाएं, राज्य लोक निर्माण विभाग से परामर्श द्वारा अनुमति प्रदान करेगी जिस हेतु समस्त व्यय कम्पनी को वहन करना होगा.

5. **अभिवेदन तथा वचनबद्धताएं (Representations and Warranties).—**

5.1 **कम्पनी के अभिवेदन तथा वचनबद्धताएं : (Representations and Warranties of the Company)**

1. कम्पनी, मध्यप्रदेश शासन को अनुबंध तिथि से अभिवेदन तथा वचन देती है कि:

अ. कम्पनी समस्त वांछित शक्तियां धारित करती है तथा वह इस अनुबंध के निष्पादन तथा पूर्ण करने हेतु विधिवत् रूप से अधिकृत किया गया है;

ब. यह अनुबंध कम्पनी पर इसके निबन्धनों के अनुसार लागू होगा;

स. इस अनुबंध के अन्तर्गत कम्पनी की ओर से अपेक्षित संव्यवहारों को पूर्ण करने हेतु न तो किसी नियम का उल्लंघन होता है व न ही किसी उल्लंघन का गठन होता है और न ही किसी अधिकार-पत्र (Charter), बन्धक या रहन (Mortgage), विश्वसनीयता अथवा धारणाधिकार का विलेख (Deed of Trust or Lien), पट्टा (Lease), अनुबन्ध (Agreement), अनुज्ञप्ति (License), अनुज्ञा-पत्र (Permit), ऋणग्रस्तता का प्रमाण (Evidence of Indebtedness), प्रतिबन्ध (Restriction), या अन्य अनुबन्ध जिसमें कम्पनी पक्षकार है या फिर जिसके बारे में कम्पनी बंधित है, में किसी तोड़ (Violation), उल्लंघन (Default), की परिस्थिति निर्मित नहीं होती है;

द. कम्पनी और/या सफल बोलीकर्ता आवेदक ने न तो कोई ऐसा कथन (Statement), प्रस्तुत किया है और न ही चयनित बोली/आवेदन/प्रस्ताव में ऐसी कोई जानकारी प्रदान की है, जो तात्विक रूप से तत्समय त्रूटिपूर्ण या भ्रामक थी जब यह कथन प्रस्तुत किया गया था या जानकारी प्रस्तुत की गई थी. इसके अतिरिक्त, चयनित बोली/आवेदन/प्रस्ताव में प्रस्तुत समस्त पुष्टीकरण (Confirmations) वचन (Undertakings) घोषणाएं (Declarations) तथा अभिवेदन सत्य तथा परिशुद्ध हैं तथा इनके बारे में किसी प्रकार की शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है.

2. ऐसी दशा में जब कम्पनी द्वारा घोषित किये गये कोई भी अभिवेदन तथा वचनबद्धताएं असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाएं, तो इस प्रकार की घटना पाये जाने पर इसे अनुबन्ध के अनुच्छेद 7.2 के अन्तर्गत उल्लंघन होना माना जाएगा तथा मध्यप्रदेश शासन को इस अनुबन्ध के अन्तर्गत अनुबन्ध को समाप्त करने का अधिकार होगा.

5.2 **मध्यप्रदेश शासन के अभिवेदन तथा वचनबद्धताएं (Representations and Warranties of GOMP).**—मध्यप्रदेश शासन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग कम्पनी को इस द्वारा अनुबंध तिथि को निम्नानुसार अभिवेदन तथा वचन देती है कि:—

i. मध्यप्रदेश शासन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग समस्त वांछित शक्तियां धारित करता है तथा उसे इस अनुबन्ध के निष्पादन तथा पूर्ण करने हेतु विधिवत रूप से अधिकृत गया है;

ii. इस अनुबन्ध के निष्पादन तथा सम्पादन के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा किसी विद्यमान विधि या अधिसूचना या विनियम या न्यायालय, शासकीय प्राधिकरण या संस्था (Agency) के किसी आदेश या आज्ञप्ति (डिक्री) या किसी संविदा, वचनबद्धता या अनुबन्ध का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, जिसमें मध्यप्रदेश शासन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग एक पक्षकार है अथवा जो मध्यप्रदेश शासन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग पर बंधनकारी है.

6. **विशेष आकस्मिक परिस्थितियां (Force Majeure):**

1. अनुच्छेद 6.5 के अध्यधीन, विशेष आकस्मिक परिस्थिति का तात्पर्य किसी घटना या परिस्थितियों या घटनाओं अथवा परिस्थितियों के संयोजन से है, जो निम्न कथित कारणों तक पूर्णतया या आंशिक रूप से किसी पक्षकार को अनुबन्ध के अन्तर्गत उसके बंधन के निष्पादन के लिये बाधा उत्पन्न करती हो या अपरिहार्य रूप से विलंब करती हो, तक ही सीमित न होकर उसे इस सीमा तक भी प्रभावित करती हो, कि घटनाएं तथा परिस्थितियां प्रभावित पक्षकार के लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसके युक्तिसंगत नियन्त्रण में न हो तथा जिन से बचा भी नहीं जा सकता हो भले ही पक्षकार द्वारा युक्तियुक्त सावधानी बरती गई हो या फिर उसके द्वारा युक्तिसंगत उपयोगिता से संव्यवहारों (Prudent Utility Practices) को अपनाया गया हो.

- दैवी घटना (Act of God) जो निम्न कारकों, जैसे कि तड़ित (Lightning), सूखा (Drought), अग्निकाण्ड (Fire) तथा विस्फोट (Explosion) (जो परियोजना से बाहर किसी स्त्रोत से मूलत: उद्‌भूत हुआ हो), भूकम्प (Earthquake), ज्वालामुखी उद्‌भेदन (Volcanic Eruption), भूस्खलन (Land slide) बाढ़ (Flood) बादल फटने (Cloud burst) चक्रवात (Cyclone) या अपवादस्वरूप प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां जो पिछले 100 (सौ) वर्षों के सांख्यिकी आकड़ों से अधिक हों, को शामिल करते हुए, मात्र इन तक ही सीमित न होगी;

- मध्यप्रदेश शासन अथवा केन्द्र शासन के अन्तर्गत किसी शासकीय माध्यम (Government Instrumentality) की भौतिक परिसम्पत्तियों (Material Assets) या कम्पनी अधिकारों (Company Rights) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकरण या अनिवार्य अधिग्रहण;

- इस अनुबन्ध के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा उसके बंधनों के निष्पादन में वांछित स्वीकृतियों (Consents), अनुमोदन (Clearances) तथा अनुज्ञा-पत्रों (Permits) को गैर-कानूनी, अनुचित अथवा भेदभावपूर्ण प्रतिसंहरण (Revocation) प्रदान करने में या इसके नवीनीकरण को इन्कार किया जाना या परियोजना के संचालन में वांछित स्वीकृतियों, अनुमोदनों तथा अनुज्ञा-पत्रों को जारी करने में गैर-कानूनी, अनुचित तथा भेदभाव पूर्ण प्रतिसंहरण किया जाना बशर्ते यह कि सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिसंहरण या इन्कार किये जाने को गैर-कानूनी, अनुचित तथा भेदभावपूर्ण ठहराया गया हो तथा याचिका को ठुकरा दिया गया हो.

- युद्ध की कोई घटना (Act of War) (भले ही वह घोषित किया गया हो या फिर घोषित न भी किया गया हो), हमला (Invasion), सशस्त्र संघर्ष (Armed Conflict) या विदेशी शत्रु की कार्यवाही, नाकाबन्दी (Blockage), नौका-अवरोध (Embargo), क्रान्ति (Revolution), दंगा (Riot), विद्रोह (Insurrection) या कोई सैनिक कार्यवाही (Military Action).

2. ऐसी परिस्थिति में जब पक्षकार के लिये निष्पादित किये जाने वाले बंधन पर कार्य करना असंभव हो जाए, तो वे विशिष्ट बंधन, अन्य पक्षकार को अधिसूचित करने के उपरांत विशेष आकस्मिक परिस्थिति अवधि के दौरान स्थगित कर दिये जाएंगे.

3. किसी विशेष आकस्मिक घटना के घटित होने पर पक्षकार जो यह दावा करता हो कि उसके लिए अनुबन्ध के अन्तर्गत अपने भौतिक बंधन (Material Obligations) का निष्पादन किया जाना असंभव हो चुका है तो वह अन्य पक्षकार को घटना घटित होने के 30 दिवस के भीतर नोटिस दे कर इसके बारे में अपने दावे के पक्ष में लिखित में आवश्यक विवरण तथा सन्तोषजनक प्रमाण संलग्न करते हुए सूचित करेगा. विशेष आकस्मिक घटना का प्रभाव समाप्त होने पर, प्रभावित पक्षकार, इसके समापन के साथ दिवस के भीतर अन्य पक्षकार को उक्त समापन के बारे में अवगत करायेगा.

4. विशेष आकस्मिक घटना के कारण स्थगित संबंधित बंधन के निष्पादन के नियत समय में विलंबित समयावधि के अनुसार, विशेष आकस्मिक घटना को आरोपित मानते हुए समयवृद्धि प्रदान की जाएगी. पक्षकार, जो ऐसा नोटिस जारी करता हो, को अनुबन्ध के अन्तर्गत अपने बंधनों के समयबद्ध निष्पादन से उक्त समयावधि के अनुपात में जब तक विशेष आकस्मिक परिस्थितियां जारी रहती हो तथा उक्त पक्षकार का निष्पादन प्रतिबंधित बाधित या विलंबित रहता हो, को छूट प्रदान कर दी जाएगी, तथापि विशेष आकस्मिक घटना से प्रभावित पक्षकार अथवा पक्षकारों द्वारा अनुबन्ध के अन्तर्गत अपने संबंधित बंधनों के निष्पादन के बारे में उक्त प्रभाव का निराकरण करने हेतु समस्त युक्तियुक्त प्रयास किये जाएंगे.

5. विशेष आकस्मिक घटना में शामिल नहीं होंगी यदि ये विशेष आकस्मिक घटना से उद्‌भूत न होती हो:

- परियोजना हेतु वांछित संयन्त्र, मशीनरी, उपकरण सामग्री, कलपुर्जे अथवा उपभोज्यों (Consumables) की अनुपलब्धता, विलंबित सामग्री प्रदाय या इनके मूल्य में किसी परिवर्तन के कारण;

- ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन में विलंब के कारण;

- अनिष्पादन (Non-performance) जो सामान्य टूट-फूट (Wear and Tear) से उद्‌भूत हो जैसा कि इसे विशेष रूप से विद्युत उत्पादन सामग्री तथा उपकरणों के बारे में अनुभव किया जाता है;

- प्रभावित पक्षकार की स्थापना पर हड़ताल या श्रमिक विघ्न (Labour Disturbance) की घटना;

- वित्त तथा निधि की अपर्याप्तता या अनुबन्ध का निष्पादन दूभर बन जाना;

- कम्पनी से जुड़े पक्षकार जो निष्पादन कार्य से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों, के द्वारा या उनके कारण निष्पादन परिणाम प्रस्तुत न किया जाना;
- असावधानीपूर्वक या जानबूझकर किये गये कृत्य, त्रुटियां अथवा उल्लंघन;
- भारत के कानूनों तथा सरकार के नियमों के परिपालन में विफल होना; तथा
- अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करना या किसी प्रकार का उल्लंघन करना.

6. **दीर्घकालीन विशेष आकस्मिक घटना (Prolonged Force Majeure).**—यदि विशेष आकस्मिक घटना से उद्भूत परिस्थिति इसके घटित होने की तिथि से निरन्तर बारह माह के उपरान्त भी जारी रहे या अन्य ऐसी अवधि जिसके संबंध में पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमति व्यक्त की जाए तो दोनों पक्षकारों को अनुबंध के अनुच्छेद 8 के अनुसार अनुबन्ध के समापन का अधिकार होगा.

7. **उल्लंघन की दशाएं (Events of Default)**

7.1 **मध्यप्रदेश शासन से संबंधित उल्लंघन की घटना (GOMP event of Default).**—निम्न घटनाओं में से कोई भी घटना तथा उसका निरन्तर जारी रहना ''मध्यप्रदेश शासन से संबंधित उल्लंघन की घटना'' में शामिल होगा जब तक इस प्रकार की घटना कम्पनी की उल्लंघन के कारण न हो जैसा कि अनुच्छेद 7.2 में इसे परिभाषित किया गया है:

i. मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुबन्ध का परित्याग (Repudiate) कर दिया गया हो ''या अन्यथा'' इस अनुबन्ध के अन्तर्गत बंधनों के निष्पादन न करने या फिर उससे बंधित न होने के बारे में अपने आशय संबंधी प्रमाण जाहिर हो;

ii. उपरोक्त उपकण्डिका (i) के अलावा, इस अनुबन्ध के किसी निबन्धन का भौतिक रूप से उल्लंघन किया जाना.

7.2 **कम्पनी से संबंधित उल्लंघन की दशाएं (Company event of Default).**—निम्न दर्शायी गई घटनाओं में से कोई भी घटना तथा उसका जारी रहना ''कम्पनी से संबंधित उल्लंघन की घटना'' में शामिल होगा, यदि ऐसी कोई घटना किसी विशेष आकस्मिक घटना (Force Majeure event) या फिर ''मध्यप्रदेश शासन से संबंधित उल्लंघन की घटना'' का परिणाम न हो, जैसा कि इसे अनुच्छेद 6.1 व 7.1 में परिभाषित किया गया है;

1. कम्पनी द्वारा अनुबन्ध का परित्याग (Repudiate) कर दिया गया हो, ''या अन्यथा'' इस अनुबंध के अन्तर्गत बंधनों के निष्पादन न करने या फिर उससे बंधित न होने के बारे में अपने आशय संबंधी प्रमाण जाहिर हो:
2. कम्पनी पुनरीक्षित नियत वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (Revised Scheduled Commercial Operation Date) तक परियोजना को क्रियाशील किये जाने में विफल हो;
3. यदि कम्पनी :
   - इस अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन में अपनी किन्हीं परिसम्पत्तियों (Assets) या अधिकारों (Rights) को किसी अन्य को निर्दिष्ट करती हो अथवा करने का आशय रखती है; या
   - इस अनुबन्ध के अन्तर्गत, अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन में अपने किन्हीं भी अधिकारों और/ या बंधनों का हस्तान्तरण करती हो;
4. यदि :
   - कम्पनी स्वेच्छा से या अनिच्छा से किसी दिवालियापन (Bankruptcy) या ऋणशोध क्षमता (Solvency) या गतिविधियों के समापन (Winding up Proceedings) की पात्र बन जाए तथा उसके द्वारा इन कार्यवाहियों को 30 (तीस) दिवस के भीतर प्रतिवाद न किया जाए; या
   - कम्पनी के विरुद्ध समापन या दिवालियापन या ऋणशोध क्षमता आदेश पारित कर दिया जाए; या

- कम्पनी का परिसमापन (Liquidation) अथवा विघटन (Dissolution) हो जाए या आदाता (Receiver) के प्रभार में आ जाए या किसी समकक्ष अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाए जो समग्र रूप से अथवा उल्लेखनीय रूप से इसकी परिसम्पत्तियों का प्रबन्धन करे या किसी कानूनी कार्यवाही के अनुसरण में इसके लिये इसके मामलों के प्रबन्धन हेतु अधिकारिक परिसमापक (Liquidator) की नियुक्ति कर दी जाए परन्तु यह कि कम्पनी के कथित विघटन या परिसमापन को उल्लंघन की घटना नहीं माना जाएगा यदि इस प्रकार किया गया विघटन या परिसमापन किसी संविलयन (Merger) समेकन (Consolidation) अथवा पुनर्गठन (Reorganization) के उद्देश्य से किया गया हो तथा जहां परिणामी कम्पनी नीति के अनुसार परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) तक समस्त अर्हताएं पूर्ण किया जाना जारी रखे तथा कम्पनी के समकक्ष विश्वसनीयता या साख (Creditworthines) धारित रखे तथा इस अनुबंध के अन्तर्गत कम्पनी के समस्त बंधनों का स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्व का निर्वहन करे तथा इनके निष्पादन की स्थिति में हो.

5. निर्दिष्ट समयावधि के भीतर (अनुच्छेद 3.1 के संदर्भ में), कम्पनी अनुच्छेद 3.1 में निर्दिष्ट गतिविधियों/ शर्तों को पूर्ण करने/ पालन करने में विफल रहे तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुच्छेद 3.3.1 के अन्तर्गत समापन के अधिकार को लागू कर दिया जाए.

6. कम्पनी इस अनुबन्ध के अनुसरण में अपने किसी बंधन का भौतिक रूप से उल्लंघन करती हो तथा इस प्रकार के कथित उल्लंघन के बारे में मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त किये गये सूचना के 30 दिवस के भीतर कम्पनी द्वारा दुरुस्थ न की गई हो.

7.3 **सुधार अवधि (Cure Period)**

1. किसी पक्षकार (उल्लंघनकर्ता पक्षकार) द्वारा उल्लंघन की किसी घटना के किये जाने पर अनुच्छेद 7.1 अथवा 7.2 के अनुसरण में, अन्य पक्षकार (गैर-उल्लंघनकर्ता पक्षकार) का उल्लंघनकर्ता पक्षकार का उल्लंघन संबंधी सूचना जारी करने का अधिकार होगा. उल्लंघनकर्ता पक्षकार को जारी किये गए सूचना में उल्लंघन के बारे में युक्तिसंगत कारणों या विवरणों का उल्लेख किया जाएगा.

2. उल्लंघन की सूचना प्राप्त होने पर, उल्लंघनकर्ता पक्षकार द्वारा सूचना प्राप्ति के 30 (तीस) दिवस के भीतर ऐसी उल्लंघन के उपचार के बारे में त्वरित कदम उठाये जाएगें तथा उसके द्वारा गैर-उल्लंघनकर्ता पक्षकार को उल्लंघन की घटना के उपचार के लिये उठाये जा रहे कदमों के बारे में यथोचित सूचना अग्रेषित की जाएगी.

3. ऐसी परिस्थिति में, जब उल्लंघन की घटना के बारे में उल्लंघनकर्ता पक्षकार द्वारा उल्लंघन के कारणों का निराकरण गैर-उल्लंघनकर्ता पक्षकार की युक्तियुक्त संतुष्टी के अनुसार कर लिया गया हो, तो उल्लंघन का सूचना निष्प्रभावी हो जाएगा.

7.4 **कम्पनी के लिये सुधार हेतु उपलब्ध व्यवस्था (Remedies available to the Company).—** उपरोक्त अनुच्छेद 7.1 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा उल्लंघन के घटित होने तथा उसके जारी रहने की परिस्थिति में मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुच्छेद 7.3 में निर्दिष्ट अनुसार इस प्रकार की उल्लंघन का सुधार प्रयोज्य अवधि के भीतर न किये जाने पर अनुच्छेद 8 में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार कम्पनी को मध्यप्रदेश शासन के विरुद्ध सूचना जारी कर इस अनुबन्ध के समापन का अधिकार होगा.

7.5 **मध्यप्रदेश शासन के लिये सुधार हेतु उपलब्ध व्यवस्था (Remedies available to the GOMP).—**उपरोक्त अनुच्छेद 7.2 के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा उल्लंघन के घटित होने तथा उसके जारी रहने की परिस्थिति में, कम्पनी द्वारा अनुच्छेद 7.3 में निर्दिष्ट अनुसार इस प्रकार की उल्लंघन का सुधार प्रयोज्य अवधि के भीतर न किये जाने पर अनुच्छेद 8 में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार मध्यप्रदेश शासन को कम्पनी के विरुद्ध सूचना जारी कर इस अनुबन्ध के समापन का अधिकार होगा.

8. **अनुबंध की समाप्ति (Terminaion of Agreement)**

8.1 **अनुबंध समाप्त होना (Terminaion)**

8.1.1 **अनुबंध समाप्त होने की सूचना (Notice of Terminaion).—**इस अनुबंध की समाप्ति 30 (तीस) दिवस की सूचना पर निम्नानुसार किया जा सकेगा :—

1. कम्पनी द्वारा, अनुच्छेद 7.1 के अनुसरण में मध्यप्रदेश शासन द्वारा उल्लंघन किये जाने के प्रकरण में;

2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुच्छेद 7.2 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा उल्लंघन किये जाने के प्रकरण में;

3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा ऐसे प्रकरण में जहां कम्पनी अनुच्छेद 4.1 के अन्तर्गत किसी बंधन के परिपालन में विफल रहे;

4. यदि दोनों पक्षकार विशेष आकस्मिक घटना (Force Majeure) के कारण इस अनुबन्ध के अन्तर्गत अनुच्छेद 3.3.3 तथा 6.6 के अनुसार 12(बारह) माह की निरन्तर अवधि के दौरान वांछित किसी भी बंधन के निष्पादन में विफल रहें;

5. ऐसी परिस्थिति में जब केन्द्र शासन अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिनियमित किसी विधि अथवा विनियम या किसी अनुवर्ती निर्णय के कारण जो किसी भी पक्षकार के लिये इस अनुबन्ध के निष्पादन को असंभव बना दे; और

6. ऐसी परिस्थिति में जब अनुबन्ध को अनुच्छेद 2.3 के अन्तर्गत इसकी नियत अवधि (Expiry) से पूर्व समापन कर दिया जाए.

8.1.2 जब तक समापन नोटिस से संबंधित कारणों का निराकरण न कर लिया गया हो या वह पक्षकार, जिसके द्वारा समापन नोटिस जारी किया गया था की तुष्टि के अनुसार प्रकरण को सुलझा न लिया गया है, समापन नोटिस की अवधि समाप्त होने पर पक्षकार, जिसके द्वारा समापन का नोटिस जारी किया गया हो, को अन्य पक्षकार को सूचना देते हुए इस अनुबन्ध के समापन का अधिकार होगा.

9. **शासी विधियां (Governing Laws).**—इस अनुबन्ध को मध्यप्रदेश राज्य में प्रयोज्य विधियों के अनुसार लागू किया जाएगा.

10. **विवादों का निराकरण (Resolution of Disputes)**

1. किसी विवाद होने की दशा में, मतभेद (Disagreement) या विवाद (Disdpute) जो पक्षकारों के मध्य अनुबन्ध के बारे में उत्पन्न हो या उससे संबंधित हो, जिस हेतु अनुबन्ध के अन्तर्गत विवाद के निराकरण के लिये कोई प्रक्रिया, किसी प्रकार से, निर्धारित न की गई हो, वहां उभय पक्षकार आपसी सहमति (Negotiate) द्वारा विवाद के निराकरण हेतु सदैव अपने सर्वोत्तम प्रयास करेंगे. यदि विवादों का परस्पर निराकरण संभव न हो तो दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार मध्यप्रदेश मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के अनुसार विवाद में समझौते के लिये मध्यस्थता हेतु कार्यवाही कर सकता है.

2. यह अनुबन्ध मध्यप्रदेश स्थित सक्षम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा.

3. उपरोक्त संदर्भित विवाद या मतभेद के कायम रहते हुए भी, दोनों पक्षकार इस अनुबंध के अन्तर्गत अपने-अपने तत्संबंधी कर्तव्यों, बंधनों का निष्पादन निरन्तर जारी रखेंगे.

11. **विविध (Miscellaneous)**

11.1 **भाषा (Language).**—अनुबंध की भाषा द्वैभाषिक (Bilingual) अर्थात् हिन्दी तथा अंग्रेजी है. किसी शंका की स्थिति में, अनुबंध का अंग्रेजी संस्करण अभिभावी रहेगा. एक पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकर को प्रदान किये जाने वाले नोटिस तथा अन्य समस्त संसूचनाओं, अभिलेखीकरण तथा कार्यवाहियों के बारे में जो किसी भी प्रकार से अनुबंध से संबद्ध हों, लिखित में तथा यथासंभव हिन्दी, या अंग्रेजी भाषा में होंगे.

11.2 **पक्षकारों के मध्य परस्पर संबंध (Relationship of the Parties).**—इस अनुबन्ध की व्याख्या या तात्पर्य को पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के संघ (Association), संयुक्त उपक्रम (Joint Venture), या साझेदारी (Partnership) या संस्था (Agency) या अन्य किसी प्रकार के संबंधों के सृजन के रूप में या फिर किसी प्रकार के साझेदारी आबंध (Partnership Obligation) अथवा दोनों पक्षकार की देयता के रूप में निरूपित नहीं किया जाएगा. दोनों पक्षकारों में से किसी एक को भी किसी प्रकार का अनुबन्ध करने अथवा उत्तरदायित्व लेने या किसी पक्षकार की ओर से कार्यवाही करने या किसी भी पक्षकार के एजेन्ट अथवा प्रतिनिधि के रूप में कार्यवाही करने या अन्य पक्षकार को बंधित करने का किसी प्रकार का अधिकार, शक्ति अथवा प्राधिकार नहीं होगा.

11.3 **निर्दिष्टिकरण (Assignment).**—इस अनुबन्ध के अन्तर्गत परियोजना के विकास हेतु उपयोग के लिये दी गई भूमि को कम्पनी द्वारा किसी अन्य पक्षकार को किसी भी प्रयोजन हेतु, यहां तक कि परियोजना के लिये ऋण के प्रायोजन के लिये भी निर्दिष्टिकरण नहीं किया जाएगा. मध्यप्रदेश शासन भी कम्पनी को कार्य के किसी भी प्रक्रम पर अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्ध/ भूमि उपयोग अनुमति के निर्दिष्टकरण (Assignment) हेतु अनुमति प्रदान नहीं करेगा.

11.4 **क्षतिपूर्ति (Indemnity).**—कम्पनी किसी भी क्षति अथवा हानि के लिये पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी, जिसमें परियोजना के निर्माण, संचालन अथवा संधारण के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी सम्पत्ति अथवा व्यक्तियों को देय तृतीय पक्षकार दावे भी शामिल होंगे तथा इस बारे में वह मध्यप्रदेश शासन को क्षतिपूर्ति हेतु वचन देती है.

निम्न साक्षियों की उपस्थिति में संबंधित पक्षकारों की ओर से इस अनुबंध को उनके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा आज दिनांक . . . . . को . . . . . .(स्थान) में हस्ताक्षरित किया गया.

परियोजना विकासक की ओर से
नाम, पदनाम तथा पता
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(हस्ताक्षर, मय सील के)
(साक्षी)

1.

2.

आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय
ऊर्जा नाम, पदनाम तथा पता
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(हस्ताक्षर, मय सील के)
(साक्षी)

1.

2.

**अनुसूची:** अभिलेखों की सूची

1. पंजीकरण क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . की प्रतिलिपि;

2. राजस्व भूमि हेतु कम्पनी के पत्र क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . की प्रतिलिपि;

3. मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की तत्संबंधी कलेक्टर को भूमि संबंधी अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि;

4. राजस्व विभाग/ कलेक्टर की भूमि के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को हस्तांतरण संबंधी पत्र की प्रतिलिपि;

5. अभिलेखों की प्रतिलिपि जिनके द्वारा मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने भूमि का आधिपत्य प्राप्त किया है;

6. पत्र क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . की प्रतिलिपि जिसके अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया है.

This **Land Use Permission Agreement** (hereinafter referred to as the "Agreement" or "this Agreement") entered into on this ..... day of the month of ....., 20 ..

BETWEEN

**The Commissioner, New and Renewable Energy, Bhopal** having office at Urja Bhawan, Shivaji Nagar Bhopal - (hereinafter referred to as "GoMP-NRE" or "GoMP" or "Government", which expression shall unless repugnant to the context there of shall include its permitted successors, assigns and legal representatives) of FIRST PART;
AND

M/s ..... (Name of the Company), having its office at .....(Hereinafter referred to as the "Company" or "Generating Company", which expression shall unless repugnant to the context thereof includes its permitted successors, administrators and permitted assigns), through Mr. ..... , (Designation), who is duly authorized by the Company *vide* Board of Resolution issued by its Board of Directors on ..... (date), to execute this Agreement of SECOND PART;

(each of the Party are individually referred as "Party" and collectively as the

WHEREAS :

A. New and Renewable Energy Department is the Nodal Department of GoMP, vested with the responsibility to deal with all the matters connected with the "Policy for implementation of Solar/ Wind/Biomass/Small Hydel (select as appropriate) power based projects in Madhya Pradesh" issued by the GoMP for the development of Solar/Wind/Biomass/Small Hydel (select as appropriate) power projects in the state of Madhya Pradesh;

B. As per the policy, in case of land owned by Revenue Department or any other State Government Department, the New & Renewable Energy Department shall take possession of the land and subsequently give permission for use of land to the concerned Developer (whose project has been accorded administrative approval);

C. As per revenue department GoMP circular number ....., dated 04-03-2014, the GoMP-NRE shall give land use permission as per the NRE policies on the basis of agreement;

D. M/s ..... (Name of the Company) submitted a proposal vide their letter (ref. No. ..... dated .....) for the development of a SolarlWind/Biomass/Small Hydel (select as appropriate) power Project (hereinafter referred to as "Project"), of installed capacity (proposed) ..... MW ..... village of ..... tehsil in ..... district of Madhya Pradesh and to develop the Project as Captive Power Producer/Independent Power Producer (select as appropriate);

E. The Company submitted the proposal for setting up of project on revenue land as per the details required. The land as chosen by them from the pool of land given on GoMP-NRE website www.mpnred.com or from the details given on website www.mplandrecords.gov.in;

F. GoMP_NRE has registered the project bearing the registration number ....., a copy of which is annexed to this Agreement as Schedule 1;

G. The Company submitted the requirement of government land for the project along with layout, project profile giving justification with regard to the suitability and appropriateness of the land alongwith details of khasras as per revenue records *vide* letter No. ..... dated, ..... 20..... a copy of which is annexed to this Agreement as Schedule 2;

H. GoMP-NRE after evaluating the requirement of land as per the policy provisions and best utilization practices sent proposal to the concerned district collector for transfer of land (hereinafter referred as "land") to the GoMP-NRE department *vide* letter No. ....., dated ..... a copy of which is annexed to this Agreement as Schedule 3;

I. The revenue department GoMP / Collector District ..... (use appropriate) *vide* letter no dated transferred ..... hectare of land against the request to the GoMP-NRE, a copy of which is annexed to this Agreement as Schedule 4;

J. GoMP-NRE has taken possession of land from the concerned revenue authority through District Renewable Energy Officer (DREO) or any other duly authorized person as per letter No. ....., dated ..... along with the revenue documents related with the land viz., certified copy of form P-II with entry of GoMP-NRE in column 12, khasra map and supudrnama, copy of these documents are annexed to this Agreement as Schedule 5;.

K. The Company obtained approval for Detailed Project Report (hereinafter referred to as "DPR") from GoMP-NRE vide letter No. ....., dated ....., subsequent to which land use permission for the land can be given to the Company as per Policy, a copy of which is annexed to this Agreement as Schedule 6;

L. The Company agrees to achieve all the milestones and abide by the provision, as specified under relevant provisions of the Policy; and

M. Now under the terms and conditions of the policy and those as per this agreement, GoMP-NRE is granting land use permission for hectare of land, to the Company to undertake the use of land in accordance with the conditions set forth in this Agreement for development of the said Project as per below:

(Give detail of Land describing District, Tehsil, Village, Khasra number, land area etc.)

NOW, THEREFORE, in consideration of the premises and mutual covenants set forth herein and other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged and intending to be legally bound hereby, both the Parties agree to the terms and conditions set forth as follows:

1. DEFINITIONS & INTERPRETATIONS

1.1. **Definitions.**—In this Agreement, following words and expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, have the meanings hereinafter respectively assigned to them:

"**Agreement**" means this Land Use Permission Agreement together with Schedules hereto;

"**Agreement Period**" shall have the meaning as ascribed thereto in Article 2.2 of this agreement;

"**Approval**" shall mean the agreement of GoMP to the Project details specified in the DPR submitted by the Company;

"**Commercial Operation**" shall mean the state of Project when Project is capable of delivering Active Power and Reactive Power on a regular basis after having successfully completed the commissioning as per Prudent Utility Practices;

"**Commercial Operation Date**" or "COD" shall mean the date on which the Commercial Operation of Unit/ Project as the case may be is achieved by the Developer;

"**Consents, Clearances and Permits**" shall mean all authorizations, licenses, approvals, registrations, permits, waivers, privileges, acknowledgements, agreements, or concessions required to be obtained from or provided by any Governmental Instrumentality for the development, execution and operation of Project including without any limitation for the construction, ownership, operation and maintenance of the Project;

"**Detailed Project Report**" or "DPR" shall mean the Project Report submitted by the Company after carrying out necessary detailed investigations and confirmatory surveys, detailing the technical parameters of the Project, design annual energy, cost of the Project etc, in the form as mutually agreed between the GoMP and Company for seeking DPR Approval from the GoMP;

"**Dispute**" shall have the meaning as ascribed thereto in Article 10;

"**Effective Date**" shall mean the date of signing of this Agreement;

"**Energy**" means the electrical energy in kilowatt hours (Kwh);

"**Force Majeure**" shall have the meaning as ascribed thereto in Article 6 of this Agreement;

"**Free Power**" shall mean the Net annual Energy made available by the Company to the GoMP free of charges from the Project;

"**GoI**" shall mean the Government of India;

"**GoMP**" or "Government" shall mean the government of the State of Madhya Pradesh;

"**Governmental Instrumentality**" shall mean:

- Government of Madhya Pradesh and/or Government of India; and/or
- any ministry, department, board, authority, agency, corporation, commission under the direct or indirect control of Government of Madhya Pradesh; and/or
- any ministry, department, board,authority, agency, commission under the direct or Indirect control of GoI; or
- any political sub-division including any court or commission or tribunal or judicial or quasi-judicial body in the state Madhya Pradesh or/and includes the MPERC;
- Supreme Court of India or commission or tribunal or judicial or quasi- judicial body of the GoI but excluding the Company;

"**Government Land**" shall mean the land owned by state government or any of its department as per the land revenue records;

"**Installed Capacity**" shall mean the summation of the nameplate capacities of all the Units of the Project;

"**Land Use Permission**" shall mean permission given by the GoMP-NRE for the revenue land to be used by the developer to whom the project is allotted for development of project for defined maximum period or the project life whichever is earlier. Under this permission, in the revenue (khasra) records in column 3 the land type "Government" will appear and in column 12, the order by which land is transferred to New and Renewable Energy Department, GoMP and Company's name will appear to whom land use permission shall be given by GoMP-NRE in accordance with this agreement. Under the provision, the land shall remain in possession of GoMP during the agreement period;

"**Land Use Charges**" shall mean 50% of the prevailing collector rate for unirrigated agriculture land where the land is located as on effective date of this agreement for project related defined "works" and shall be 100% of the prevailing collector rate for un-irrigated agriculture land for defined "permanent ancillary structures" as on effective date of this agreement. Company shall pay the user charges by way of demand draft in the name of Account Officer 0/0 of Commissioner New and Renewable Energy, Bhopal. Land use charges shall be paid in 5 equal successive annual installments;

"**Month**" shall mean a period of 30 (thirty) days from (and excluding) the date of the event, where applicable else an English calendar month;

"**Performance Guarantee**" shall mean the irrevocable unconditional bank guarantee, submitted and to be submitted by the Company to the GoMP from any nationalized bank;

"**Permanent Structures**" shall mean the permanent works forming part of the Project that are required to be constructed, installed and maintained as such for the implementation of the Project;

"**Permanent Ancillary Structures**" shall mean the permanent ancillary works required for project related activities like construction of project office, staff houses, rest house, guest house, canteen etc.;

"**Policy**" shall mean the policy for implementation of Solar/Wind/Biomass/Small Hydel (select as appropriate) power based electricity projects as per GoMP's dated ..... and its subsequent amendments;

"**Project**" shall mean Solar/Wind/Biomass/Small Hydel (select as appropriate) power project having an installed capacity of ..... MW as per Detailed Project Report approved as per schedule 6, proposed in the ..... district in the State of Madhya Pradesh.

"**Revised Scheduled Commercial Operation Date**" shall mean the revised date fixed by the GoMP for COD of the Project after according approval to the extension of the Scheduled Commercial Operation Date;

"**Scheduled Commercial Operation Date**" shall mean the date by which the commissioning of the Project is to be achieved and such date shall not be beyond the timelines as specified in the Policy from the date of signing this Agreement unless extension is granted by the GoMP for delays occurring beyond the control of Company;

"**Site**" shall mean the site of Project appurtenances, generating plant including land and any rights acquired or to be acquired by the Company for the purposes of the Project;

"**State**" shall mean the state of Madhya Pradesh;

"**Temporary Structures**" shall mean all temporary works of any kind other then permanent structures required to be erected in connection with the implementation of the Project and that are incidental or ancillary to the design, engineering and construction of the Project and are erected/installed and maintained till the Commercial Operation Date for the Project and removed thereafter;

"**Works**" shall mean all permanent structures, permanent ancillary structures and temporary structures required and necessary for the implementation of the Project and activities ancillary thereto; and

"**Year**" shall mean financial year beginning on 1st April and ending on 31st March.

1.2. **Interpretations**.—In this Agreement, unless the context otherwise requires:

1. Any reference to a statutory provision shall include such provision as is from time to time modified or re-enacted or consolidated so far as such modification or re- enactment or consolidation applies or is capable of applying to any transactions entered into hereunder.

2. The references to persons and words denoting natural persons shall include bodies corporate and partnerships, joint ventures and statutory and other authorities and entities.

3. The nomenclature of the Agreement, headings and paragraph numbers are for the convenience of reference and shall be ignored in construing or interpreting the Agreement.

4. Any reference at any time to any agreement, deed, instrument, license or document of any description shall be construed as reference to that agreement, deed, instrument, license or other document as amended, varied, supplemented, modified or suspended at the time of such reference provided that this Clause shall not operate so as to increase the liability or obligations of any Party hereunder or pursuant hereto in any manner whatsoever.

5. Any reference to any period commencing "from" a specified day or date and "till" or until" a specified day or date shall include both such days and dates.

2. TERM OF THE AGREEMENT

2.1. **Effectiveness.**—The Agreement shall come into effect from the Effective Date of this Agreement.

2.2. **Agreement Period.**—This Agreement shall remain in force up to a period of ..... years (25 years for solar, 25 years for wind power, 20 years for biomass power and 35 years for small hydel projects) or life of the project whichever is earlier from the Effective Date of this agreement, unless terminated earlier in accordance with the provisions of this Agreement.

2.3. **Early termination.—**This Agreement shall terminate before the Agreement Period:

1. if either the GoMP or Company exercises a right to terminate, pursuant to Article 3.1.3, Article 3.3.1, Article 3.3.3 and Article 8 of this Agreement or any other provision of this Agreement; or

2. In such other circumstances as the Company and the GoMP may mutually agree, in writing.

3. In case of early termination of the agreement, The Company shall remove any plants, machinery, works or any encumbrances from such unutilized land within 90 days of such date of termination of the agreement as notified by the GoMP-NRE. After the 90 days' period, the GoMP shall have the full right on all the property left over in the said land without payment of any compensation and will be free to dispose it off in any manner it chooses;

2.4. **Clearance of Land on Termination of Agreement.**—In case of early termination as per Article 2.3, the Company shall remove all plants, machineries and all other structures so that the land given for use is vacant within 90 (ninety) days from the date of Termination of this Agreement. It is clarified for removal of doubt that this Article shall survive the termination of this Agreement.

2.5. **Land Use Charges.**—The company shall pay "land use charges" at the rate of 50% of the prevailing collector rate for un-irrigated agriculture land where the land is located as on effective date of this agreement for project related defined "works" and shall be at the rate of 100% of the prevailing collector rate for un-irrigated agriculture land for defined "permanent ancillary works" as on effective date of this agreement. Company shall pay the user charges by way of demand draft in the name of Account Officer % of Commissioner New and Renewable Energy, Bhopal. Land use charges shall be paid in 5 equal successive annual installments. The first installments should be paid before taking over the land for use of the project. It is clarified that land use charges paid shall not be refunded under any condition on termination of this agreement.

3. CONDITIONS SUBSEQUENT TO BE SATISFIED BY THE COMPANY AND THE GoMP

3.1. **Satisfaction of conditions subsequent by the Company**

1. The Company shall enter the land for the Project use within 30 days from taking over of land from the concerned DREO (District Renewable Energy Officer) or any other authority as authorized by GoMP-NRE for the purpose. It is clarified that the land shall remain in possession of GoMP-NRE and the Company is only authorized to use it for the purpose of project development under this agreement.

2. The Company shall start the work for development of the Project within 6 months of effective date and achieve commercial operation of the project within ..... months or as extended by GoMP-NRE. The extension if granted shall be the part of this Agreement.

3. In case the Company fails to achieve the above-mentioned milestones even after timeline extension or executes the part,of the project, this Agreement shall be terminated for that part of the land which remained unutilized.

3.2. **Satisfaction of conditions subsequent by the GoMP.**—The GoMP-NRE through its authorized DREO or any other authority shall make the "land" available to the Company for its use for the project development within 30 days of request made by the Company.

3.3. **Consequences of non-fulfillment of conditions**

1. Subject to Article 3.3.3, if fulfillment of any of the conditions specified in Article 3.1 is delayed beyond the period (including extensions, if any) specified for the respective conditions subsequent, the GoMP shall have the right to terminate this Agreement by giving a Termination Notice to the Company in writing of at least 30 (thirty) days.

2. If the GoMP elects to terminate this Agreement in the event specified in Article 3.3.1, the land use permission shall stand cancelled from the effective date of termination of agreement.

3. In case of inability of either Party to fulfill the conditions specified in Article 3.1 and 3.2 due to any Force Majeure event, the time period for fulfillment of the condition subsequent as mentioned in Article 3.1 and 3.2, shall be extended for the period of such Force Majeure event, subject to a maximum extension period of 12 (twelve) Months, continuous or non-continuous in aggregate. Thereafter, either the GoMP or the Company may terminate this Agreement by giving a notice of at least 30 (thirty) days, in writing to the other Party.

4. OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

4.1. Obligations of the Company

1. The Company undertakes to pay the "land use charges" as per clause 2.5 failing which the land use permission shall be cancelled under the provisions of this agreement.

2. The Company undertakes to be responsible at its own costs and risk, for the execution of the project in a timely manner to be commissioned no later than its Revised Scheduled Commercial Operations Date.

3. The Company shall work with and co-operate in good faith with the GoMP with respect to all of the obligations and rights hereunder.

4. The Company shall not use the land for any purpose other than those included in definitions of permanent, permanent ancillary and temporary structures. If at any stage during the tenure of this agreement it is found to be used for any other purpose, then land use permission may be cancelled under the provisions of this agreement.

5. The Company shall not use more than 5% of land required for project permanent works or 1 hectare whichever is less for the permanent ancillary structures. The Company shall remove the permanent ancillary structures within 90 days of date of termination of the agreement. After the 90 days' period, the GoMP shall have the full right on all the property left over in the said land without payment of any compensation and will be free to dispose it off in any manner it chooses.

6. In case of wind power projects, the Company may use the land given for use and is incidentally available below the blades, beyond the fenced protected area, for horticultural or floricultural use without making any permanent structure.

7. The Company shall operate. the Project as per the prudent practices throughout the agreement period and if the project is not found to be operational continuously for a period of 6 months even after notice, then this agreement shall be terminated in accordance with the provisions of this agreement.

8. The Company shall for the purpose of safety fence the area of the Project.

9. The Company shall be liable for environment protection measures within the land given for use and shall not do anything adversely affecting the environment.

10. The Company shall not dig any well or tube well in the land area given for use without the approval of the concerned collector.

11. While using the said land, if the Company causes any harm or injury to any person/ animal, he shall be liable to pay compensation or damages in the same manner as a tenant of land is generally liable to pay.

12. The Company shall not cut any tree coming under the land area without approval of the concerned collector.

13. The Company shall pay the annual free electricity (wherever due) from the monthly bill on pro-rata basis.

14. **Monitoring and supervision of the Project**.—The Company shall, at all times, afford access to the Site to the authorized representatives of the GoMP and to the persons duly authorized by any Governmental Instrumentality having jurisdiction over the Project as per the Policy provisions.

15. **Safety measures**.—The Company shall ensure proper safety measures during implementation of the Project including any geological study, construction and testing at the Site. The GoMP shall have the right to institute an appropriate mechanism to ensure compliance by the Company in this regard.

16. **Alternative facilities**.—In case any existing facilities including, but not limited to, roads, bridges, buildings and communication system(s), are affected because of the implementation of the Project on the permitted land, the Company shall be responsible and bear the cost of taking remedial measures. The Company shall not interfere with any of the existing facilities till an alternate facility is created as approved by the concerned department.

17. **Maintaining Ecological Balance**.—The Company shall be responsible for maintaining the ecological balance by preventing deforestation, water pollution and defacement of natural landscape in the vicinity of project area. The Company shall take all reasonable measures to prevent any, unnecessary destruction, scarring or defacement of the natural surroundings in the vicinity of the Project area.

18. **Use of facilities**.—Subject to availability, security, safety, law, order, and operational factors being met, the Company shall permit free use, by the GoMP and the general public, of all service roads constructed and maintained by it for the Project after the Project has been commissioned.

19. **Archaeological findings, treasures etc.**.—All fossils, coins, articles of value or antiquity and structures and other remains or things of geological or archaeological interest discovered on the Site shall be deemed to be the absolute property of the GoMP. The Company shall take reasonable precautions to prevent its workmen or any other persons from damaging any such article or thing. The Company shall arrange to hand over the same to the GoMP free of cost, provided that, in case any precious or semi-precious material is located, the Company shall inform the GoMP immediately and abide by the directives of the GoMP which shall be communicated within a period of 15 (fifteen) days from the date of receipt of such intimation from the Company.

20. The Company, while providing employment for construction as well as operation and maintenance activities, shall endeavor to give preference to locals as per their availability and suitability and shall also give preference to locally manufactured materials components for construction and maintenance of the Project subject to availability and suitability of the same.

4.2. 0BLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE GOMP

4.2.I **Land Use Permission.**—The GoMP-NRE shall make the land available for use of project through DREO or its authorized representative within 30 days of request made by the Company subsequent to this Agreement.

4.2.2 **Right to substitution.**—The GoMP-NRE shall permit the prime lending institution the right to substitute the Company for land use permission during the loan period as per the Policy notification no 165 dated 16 April 2013.

4.2.3 **Land Use Permission for third Party Participation.**—In case Company who has-been given permission for land use under this agreement for setting up SolarlWind/Biomass/Small Hydel (select as appropriate) power project, intends to set up the SolarlWind/Biomass/Small Hydel (select as appropriate)project along with third party participation then land use permission for the part of land on which SolarlWind/Biomass/Small Hydel (select as appropriate)project to be set up by the third party, will be given to such third party on the terms and conditions of this agreement, which shall be applicable to the third party. The third party shall be required to enter into the separate land use permission agreement for the portion of land on which the project is developed by third party.

4.2.4 **Up-gradation of roads and bridges.**—The GoMP shall permit the Company to construct roads, bridges, culverts as considered necessary for the Project at the Site in consultation with State public works department at the cost of the company

5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

5.l. Representations and Warranties of the Company

1. The Company represents and warrants to the GoMP that as of the date hereof :

a. The Company has all requisite power and has been duly authorized to execute and consummate this Agreement:

b. This Agreement is enforceable against the Company in accordance with its terms;

c. The consummation of the transactions contemplated by this Agreement on the part of the Company will not violate any provision of nor constitute a default under, nor give rise to a power to cancel any charter, mortgage, deed of trust or lien, lease, agreement, license, permit, evidence of indebtedness, restriction, or other contract to which the Company is a party or to which the Company is bound which violation, default or power has not been waived;

d. The Company and/ or successful bidder/applicant has neither made any statement nor provided any information In the selected bid/ application/proposal, which was materially inaccurate or misleading at the time when such statement was made or information was provided Further, all the confirmations, undertakings, declarations and representations made in the selected bid/ application/proposal are true and accurate and there is no breach of the same;

2. In the event that any of the representations and warranties made by the Company in the Article above are found to be not true or are incorrect, the occurrence of such event would amount to a Company event of default under Article 7.2 of this Agreement and the GoMP shall have the right to terminate this Agreement in accordance with this Agreement.

5.2. Representations and Warranties of the GoMP .—The GoMP-NRE represents and warrants to the Company that as of the date hereof:

i. The GoMP-NRE has all requisite powers and has been duly authorized to execute and consummate this Agreement;

ii. The execution and delivery of this Agreement by the GoMP-NRE does not violate the provision of any existing law or notification or regulation or order or decree of any court, government authority, or of agency or of any contract, undertaking or agreement, to which the GoMP-NRE is a party or which is binding on GoMP-NRE,

## 6. FORCE MAJEURE

1. Subject to Article 6.5, Force Majeure shall mean any event or circumstances or combination of events or circumstances including but not limited to those stated below that wholly or partly prevents or unavoidably delays any Party in the performance of its obligations under the Agreement, but only if and to the extent that such events and circumstances are not within the reasonable control, directly or indirectly, of the affected Party and could not have been avoided even if the affected Party had taken reasonable care or complied with Prudent Utility Practices,

- Act of god, including, but not limited to lightning, drought, fire and explosion (to the extent originating from a source external to the Project), earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, cloud burst, cyclone, or exceptionally adverse weather conditions which are in excess of the statistical measures for the last 100 (hundred) years;

- Nationalization or compulsory . acquisition by any Governmental Instrumentality under the State of Madhya Pradesh or the Government of India of any material assets or rights of the Company;

- The unlawful, unreasonable or discriminatory revocation of, or refusal to renew, any Consents, Clearances and Permits required by the Company to perform its obligations under this Agreement or any unlawful, unreasonable or discriminatory refusal to grant any Consents, Clearances and Permits required for the operation of the Project, provided that a competent court of Law declares the revocation or refusal to be unlawful, unreasonable and discriminatory and strikes the same down;

- Any act of war (whether declared or undeclared), invasion, armed conflict or act of foreign enemy, blockade, embargo;, revolution, riot, insurrection, terrorist or military action.

2. In the event a Party is rendered unable to perform any obligations required to be performed by it under the Agreement by Force Majeure, the particular obligations shall, upon notification to the other Party, be suspended for the period of Force Majeure.

3. Upon the occurrence of an event of Force Majeure, the Party claiming that it has been rendered unable to perform any of its material obligations under the Agreement, shall notify the other Party in writing within 30 days of the commencement thereof giving the particulars and satisfactory evidence in support of its claim. Upon termination of such event of Force Majeure, the-affected Party shall, within 7 days of its termination, intimate the other Party of such termination.

4. Time for performance of the relative obligations suspended by Force Majeure shall then stand extended by the period of delay, which is directly attributable to Force Majeure. The Party giving, such notice shall be excused from timely performance of its obligations under the Agreement, for so long as the relevant event of Force Majeure continues and to the extent that such Party's performance is prevented, hindered or delayed, provided the Party or Parties affected by the event, of Force Majeure shall use reasonable efforts to mitigate the effect thereof upon its performance of the obligations under the Agreement.

5. Force Majeure shall expressly not include the following, except to the extent resulting from a Force Majeure :

- Unavailability, late delivery or changes in cost of plant, machinery, equipment, materials, spare parts, or consumables for the Project;
- A delay in the performance by any contractor(s);
- Non-performance resulting from normal wear and tear typically experienced in power generation materials and equipment; and
- Strikes or labour disturbance at the facilities of the affected Party;
- Insufficiency of finances or funds or the Agreement becoming onerous to perform;
- Non-performance caused by, or connected with, non-performing Party's:
- Negligent or intentional acts, errors or omissions,
- Failure to comply with any of the Laws of India, and of the Government, and
- Breach of or default under the Agreement.

6. **Prolonged Force Majeure**.—If a Force Majeure event continues beyond a continuous period of 12 (twelve) months from the date of its occurrence or such other period as may be mutually agreed to by the Parties, and thereafter either Party shall have the right to terminate the Agreement as per Article 8.

7. **EVENTS OF DEFAULT**

7.1. **GoMP event of default**.—The occurrence of and continuation of any of the following events shall constitute "GoMP Event of Default" unless such an event occurs as a result of a Company default, as defined in Clause 7.2:

i. GoMP repudiates this Agreement "or otherwise" evidences an intention not to perform its obligations under, or to be bound by, this Agreement;

ii. The material breach of any term of this Agreement other than -with respect to sub-clause (i) above;

7.2. **Company event of default**.—The occurrence of and continuation of any of the following events shall constitute "Company event of default" if such an event does not occur as a result of any Force Majeure event or a GoMP event of default, as defined in Article 6.1:

1. the Company repudiates this Agreement or otherwise evidences an intention not to perform its obligations under, or to be bound by, this Agreement;

2. the failure of Company to commission the Project by the date falling after its Revised Scheduled Commercial Operation Date;

3. **if the Company**:

- assigns or purports to assign any of its assets or rights in violation of this Agreement; or
- transfers any of its rights and/or obligations under this Agreement, in violation of this Agreement;

4 **if :**

- the Company becomes voluntarily or involuntarily the subject of any bankruptcy or insolvency or winding up proceedings and such proceedings remain uncontested for a period of 30 (thirty) days, or
- any winding up or bankruptcy or insolvency order is passed against the Company, or
- the Company goes into liquidation or dissolution or has a receiver or any similar officer appointed over all or substantially all of its assets or official liquidator is appointed to manage its affairs, pursuant to Law, provided that, a dissolution or liquidation of the Company will not be an event of default if such dissolution or liquidation is for the purpose of a merger, consolidation or reorganization and where the resulting company continues to meet the requirements as per Policy till COD of the Project, and retains creditworthiness similar to the Company and expressly assumes all obligations of the Company under this Agreement and is in a position to perform them;

5. the Company fails to complete / fulfill the activities/conditions specified in Article 3.1, beyond the specified period (Article 3.1) and the right of termination under Article 3.3.1 is invoked by the GoMP; or

6. the Company is in material breach of any of its obligations pursuant to this Agreement, and such material breach is not rectified by the Company within 30 (thirty) days of receipt of notice in this regard from the GoMP; or :

7.3. **Cure period**

1. Upon the occurrence of an event of default by a Party (Defaulting Party) pursuant to Articles 7.1 or 7.2, the other Party (Non-Defaulting Party) has the right to issue a notice of default, specifying in reasonable detail the event of default giving rise to the notice of default.

2. On receipt of the notice of default, the Defaulting Party shall take immediate steps to cure such a default within a period of 30(Thirty) days from the receipt of the notice of default with due intimation to the Non-Defaulting Party of steps being taken by it to cure the event of default.

3. In the event, the reasons leading to the event of default have been cured to the reasonable satisfaction of the Non-Defaulting Party; the notice of default shall cease to have any effect.

7.4. **Remedies available to the Company**.—Upon the occurrence and continuation of a GoMP event of default under Article 7.1 above, and the failure by the GoMP to cure such a default within the applicable cure period, specified in Article 7.3, the Company shall have the right to terminate this Agreement by giving notice to the GoMP in accordance with the procedures set forth in Article 8.

7.5. **Remedies available to the GoMP.**—Upon the occurrence and continuation of a Company event of default under Article 7.2 above, and the failure by the Company to cure such a default within the applicable cure period, specified in Article 7.3, the GoMP shall have the right to terminate this Agreement by giving notice to the Company in accordance with the procedures set forth in Article 8.

8. TERMINATION OF AGREEMENT

8.1. **Termination**

8.1.1 **Notice of Termination**.—This Agreement may be terminated on serving a 30 (thirty) days notice (Notice of Termination) by:

1. The Company, in case of a GoMP event of default pursuant to Article 7.1;

2. The GoMP, in case of a Company event of default pursuant to Article 7.2;

3. The GoMP, in case the Company fails to comply with any of the obligations under Article 4.1;

4. if either Party is unable to perform any obligations required to be performed under this Agreement due to Force Majeure for a continuous period of 12 (twelve) Months as per Article 3.3.3 and 6.6;

5. In the event of enactment of any law or regulation or any subsequent act of any GoI or Government of Madhya Pradesh authority, which makes the performance of this Agreement, impossible for any Party;

6. In the event agreement is terminated before its expiry under Article 2.3.

8.1.2 On the expiry of the Notice of Termination, the Party, which served the Notice of Termination, shall be entitled to terminate this Agreement under intimation to the other Party, unless the event leading to the Notice of Termination has been rectified or complied with to the satisfaction of the Party, which issued the Notice of Termination.

9. GOVERNING LAWS.—This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the applicable Laws in the State of Madhya Pradesh.

10. RESOLUTION OF DISPUTES

1. In the event of a dispute, disagreement or difference (a "Dispute"), arising out of or relating to the Agreement between the parties in respect of which a procedure for the resolution of the Dispute is not otherwise provided for in the Agreement, both the parties will attempt in good faith, negotiate and use their best endeavours at all times to resolve the dispute mutually. If disputes cannot be settled mutually, either party can approach for arbitration, according to Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Act 1983, for settlement of the dispute.

2. The Agreement shall be subject to the jurisdiction of competent courts at Madhya Pradesh.

3. Notwithstanding the existence of any dispute or difference referred, the parties shall continue to perform their respective duties/obligations under the Agreement.

11. MISCELLANEOUS

11.1. **Language**.—The language of the agreement is bilingual i.e. in Hindi and English. In case of any doubt the English version shall prevail. All notices required to be given by one Party to the other Party and all other communications, documentation and proceedings which are in any way relevant to the Agreement shall be in writing and shall be in Hindi or English language.

11.2. **Relationship of the Parties.**—This Agreement shall not be interpreted or construed to create an association, joint venture or partnership or agency or any such other relationship between the Parties or to impose any partnership obligation or liability upon either Party. Neither Party shall have any right, power or authority to enter into any agreement or undertaking for, or act on behalf of, or to act as or be an agent or representative of, or to otherwise bind, the other Party.

11.3. **Assignment.**—The land given for use under this agreement for development of project shall not be assigned by the Company to any other party for any purpose including for the purpose of loan for the project. The GoMP shall also not permit the Company for assignment of agreement / or land use permission at any stage during the tenure of this agreement

11.4. **Indemnity.**—The Company shall be fully responsible for any damage or loss, including third party claims arising out of the construction, operation or maintenance of the Project to any property or persons and also undertakes to indemnify the GoMP on such account

IN WITNESS WHEREOF, THE PARTIES HAVE CAUSED THIS AGREEMENT TO BE EXECUTED BY THEIR DULY AUTHQRISED REPRESENTATIVES AS OF THE DATE AND PLACE SET FORTH ABOVE

| | |
|---|---|
| For and on behalf of | For and on behalf of |
| PROJECT DEVELOPER | Commissioner, New & Renewable Energy |
| Name Designation and Address | Name Designation and Address |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| Signature with Seal<br>Witness | Signature with Seal<br>Witness |

**Schedule : List of Documents**

1. Copy of Letter of Registration No. ..... dated.....,
2. Copy of Company's letter for revenue land No. ..... dated.....,
3. Copy of the GoMP-NRE letter forwarding the land request letter to the respective collector;
4. Copy of the letter of Revenue department / Collector transferring the land to GoMP-NRE;
5. Copy of the documents *vide* which land is taken in possession by GoMP-NRE
6. Copy of letter No. ..... dated....., *vide* which Detailed Project Report of the project is approved.

परिशिष्ट 2/4

Energy power Purchase Agreement

by any Force Majeure event, or if any of the activities is specifically waived in writing by the Procurer

3.2. Consequences of Non-fulfillment or Conditions Subsequent

3.2.1. In case of a failure to submit the documents as above, the Procurer shall have the right to terminate this Agreement by giving a notice to the Seller in writing of at least seven (7) days. The termination of the Agreement shall take effect upon the expiry of the 7th day of the above notice.

3.2.2. The Procurer shall be entitled to encash the Performance Bank Guarantee submitted by the Seller/ Developer.

3.2.3. For the avoidance of doubt, it is clarified that this Article shall survive the termination of this Agreement.

3.2.4. In case of .inability of the seller to fulfill anyone or more of the conditions specified in Article 3.1 due to any Force Majeure event, the time period for fulfillment of the Conditions Subsequent as mentioned in Article 3.1, shall be extended for the period of such Force Majeure event:

Provided that due to the provisions of this Article 3.2, any increase in the time period for completion of conditions subsequent mentioned under Article 3.2, shall also lead to an equal extension in the Scheduled COD.

3.3. **Scheduled Commercial Operation Date (COD).**—The Seller has agreed to commission the project as per Scheduled COD of the Power Project as under-

i) 100% capacity of project [insert capacity] MW, within _ Months (not more than 18 months) from the date of execution of this Agreement.

3.4. **Performance Bank Guarantee**

3.4.1. In order to adhere the Scheduled COD, the Seller / Developer has furnished the Performance Bank Guarantee before execution of this Agreement as under—

(a) INR 7.5 lakhs per MWor part thereof for the Contracted Capacity.

(b) The Performance Bank Guarantee shall be exclusive of any amount deposited by the Seller to New and Renewable Energy Department,GoMP.

**कल्पना जैन,** अवर सचिव.

# नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

## आदेश

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

क्र. एफ-1-2-2014-साठ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीतियों—लघु जल विद्युत् परियोजना नीति अधिसूचना दिनांक 3 नवम्बर 2011, बायोमास आधारित विद्युत् परियोजना नीति 12-10-2011, पवन ऊर्जा परियोजना नीति अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी 2012 एवं सौर ऊर्जा परियोजना नीति अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई 2012 के अनुसार परियोजना स्थापना हेतु दी जाने वाली राजस्व भूमि उपयोग की अनुमति हेतु भूमि उपयोग अनुज्ञा अनुबंध का अनुमोदन एवं विभागीय नीतियों की राजस्व भूमि उपयोग अनुमति एवं निष्पादन गारंटी हेतु प्रावधानों की तत्संबंधी कण्डिकाओं में निम्नानुसार प्रावधानों एवं संशोधनों को नीतियों में समाहित किया जाता है.—

1. परियोजना उपयोग में ली जाने वाली राजस्व भूमि उपयोग की दर परियोजना हेतु चिन्हित भूमि की अनुबन्ध दिनांक पर प्रचलित असिंचित कृषि भूमि हेतु निर्धारित कलेक्टर दर के 50 प्रतिशत के बराबर होगी. विकासक निर्धारित भूमि उपयोग दर को पांच समान वार्षिक किश्तों में जमा करेगा.

2. विकासक की मांग पर परियोजना के अन्य अनुषांगिक उपयोग हेतु निर्माण जैसे कि, परियोजना कार्यालय, कर्मचारियों हेतु आवास, विश्राम गृह, कैन्टीन आदि के निर्माण हेतु भूमि उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी. यह भूमि परियोजना से लगी हुई हो व इसका क्षेत्रफल परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत या अधिकतम 1 हैक्टेयर होगा. इस भूमि हेतु उपयोग की दर परियोजना हेतु चिन्हित भूमि की अनुबंध दिनांक पर प्रचलित असंचित कृषि भूमि हेतु निर्धारित कलेक्टर दर के बराबर होगी.

3. विकासक द्वारा प्रथम किश्त भूमि उपयोग में लिये जाने के पूर्व जमा की जायेगी.

4. भूमि उपयोग की अनुमति की अवधि निर्धारित स्थापना अवधि से सौर ऊर्जा हेतु 25 वर्ष, पवन ऊर्जा 25 वर्ष, बायोमास आधारित परियोजनाओं हेतु 20 वर्ष एवं लघु जल ऊर्जा विद्युत् परियोजनाओं हेतु 35 वर्ष अथवा इन तकनीकों की परियोजना अवधि जो भी पहले हो, होगी.

5. विभाग की पवन ऊर्जा, बायोमास आधारित विद्युत् उत्पादन एवं लघुजल विद्युत् ऊर्जा नीतियों में दूसरे चरण की निष्पादन गारंटी उन परियोजनाओं के लिये देय नहीं होगी, जहां विद्युत् का क्रय मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी के द्वारा की जा रही हो.

6. सौर ऊर्जा नीति में प्रावधानित निष्पादन गारंटी 5 लाख प्रति मेगावाट के स्थान पर 1 लाख प्रति मेगावाट देय होगी.

उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील माना जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**कल्पना जैन,** अवर सचिव.

# नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

## संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2014

क्र. एफ-1-2-2014-साठ.—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 7 अक्टूबर 2014 के बिन्दु क्रमांक 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

1. परियोजना उपयोग में ली जाने वाली राजस्व भूमि उपयोग की दर परियोजना हेतु चिन्हित भूमि की अनुबन्ध दिनांक पर प्रचलित असिंचित कृषि भूमि हेतु निर्धारित कलेक्टर दर के 50 प्रतिशत के बराबर होगी. विकासक निर्धारित भूमि उपयोग दर को पांच समान वार्षिक किश्तों में जमा करेगा.

केन्द्र सरकार के जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन व मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी की सौर परियोजनाओं जिनका निविदा के माध्यम से प्रस्ताव बुलाकर दिनांक 7-10-2014 के पूर्व अनुबंध या निविदा स्वीकृत किया जा चुका है, में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 7-10-2014 के बिन्दु क्रमांक 1 से लागू भूमि उपयोग दर से छूट रहेगी.

**कल्पना जैन,** अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.